

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
महावीर कैसर सस्थान,
फुलवारी शरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक.....

तिषय-“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 19.02.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	मो० अशरफ पिता-मो० मोहरम ग्राम+पो०-खम्हौती थाना-सिमरी बख्तियारपुर जिला-सहरसा एम०सी०एस-एफ 75667	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
2	पियारी देवी पति-सितुहा माझी ग्राम-सुंदरपुर चिठैया पो०+थाना-बिक्रम जिला-पटना एम०सी०एस-83146	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	शिव बालक दास पिता-शिवचन दास ग्राम+पो०-रोआरी थाना-शिकारपुर जिला-प० चम्पारण एम०सी०एस-एफ 87603	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	मोहनी देवी पति- सुरेश मडल ग्राम+पो०-सागरपुर थाना-सकरी जिला-मधुबनी एम०सी०एस-एफ 89024	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	मालती देवी पति-कृष्णा प्रसाद ग्राम+पो0-अल्लाहगज थाना-मखदुमपुर जिला-जहानाबाद एम0सी0एस- एफ 86846	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	रेणु देवी पति-परमानंद सिंह ग्राम-सारे वार्ड स0-2 पोस्ट+थाना-सारे जिला नालदा एम0सी0एस-एफ 86956	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	सुरसतीया देवी पति-स्व0 रामबाबु राय ग्राम-लीला टोला रेवा पो0-बलुआ थाना-मनेर जिला-पटना एम0सी0एस-एफ 85426	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	सुबोध दास पिता-गरीब दास ग्राम-मादापुर पो0-लदौरा पकरी थाना-कुढनी जिला-मुजफ्फरपुर एम0सी0एस-एफ 85591	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	अमृता देवी पति-राम एकबाल ठाकुर ग्राम-वासुदेवपुर पोस्ट-रसलपुर थाना-बाजपट्टी जिला-सीतामढी एम0सी0एस-एफ 88460	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	मास्टर अकित कुमार पिता-अजय यादव ग्राम-जगीपुर पो0-पिजरी थाना बरबीघा जिला शेखपुरा एम0सी0एस-एफ 88703	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	छागुडी मेहता पिता-मटुकी मेहता ग्राम-मधेपुरा पो0-मनजौरा थाना-बिहारीगंज जिला-मधेपुरा एम0सी0एस-एफ 88872	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	अनुज कुमार पाण्डेय पिता-स्व० योगेन्द्र पाण्डेय ग्राम-नई कोइरी टोला बी० एस० एन० एल० टेलिफोन एक्सचेंज के सामने पो०-बेतिया थाना-नगर जिला-प० चम्पारण एम०सी०एस-एफ 87588	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	भोला महतो पिता-हरो महतो ग्राम-मुसहर टोला नोखा पो०+थाना-नोखा जिला-रोहतास एम०सी०एस-एफ 43152	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
14	लालमुनी देवी पति-भरत महतो ग्राम-फतेहपुर पो०-वैदापुर बिशुनपुरा थाना-दरौदा जिला-सीवान एम०सी०एस-ई० 81086	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
15	बदरुद्दीन असारी पिता-कयाम असारी ग्राम-बिलारू मठिया पो०-हथियार थाना-देवकुड जिला-औरंगाबाद एम०सी०एस-एफ 69894	कैसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
16	विनीता देवी पति-अरविद यादव ग्राम-ढकनी वार्ड 10 पो०-भवानी गढ रामपुर थाना-गोविन्दपुर जिला-नवादा एम०सी०एस- एफ 87365	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	सोनी खातुन पति-मो० सोजीम ग्राम-हसी टोला पो०-काबर थाना-बरारी जिला कटिहार एम०सी०एस- एफ 85858	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
18	अजय कुमार पिता-बिगन राय ग्राम-चकहन पो०-शाम कौरीया थाना-हसुआपुर जिला-सारण एम०सी०एस- एफ 85993	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

19	उमाशकर राय पिता-राम प्रसाद राय ग्राम-जदुआ ब्रम्ह स्थान पो0+थाना-हाजीपुर जिला-वैशाली एम0सी0एस-एफ 80040	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
20	बीबी सहीमा पति-असलम ग्राम-गौरा पो0-पचरुखी थाना-शाहकुड जिला-भागलपुर एम0सी0एस- एफ 87645	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
21	सावित्री देवी पति-सूर्य नारायण यादव ग्राम+पो0-मोबारकपुर थाना-सलखुआ जिला-सहरसा एम0सी0एस-एफ 85438	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	पुष्पा कुमारी पति अमित कुमार सिंह ग्राम-अहियापुर पो-कुटौत थाना-बरबीघा जिला-शेखपुरा एम0सी0एस- एफ 85925	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	चनरजोती देवी पति-लालु पासवान ग्राम-मंगलपुर काला पो0-मंगलपुर गुदरिया थाना-नौतन जिला-प0 चम्पारण एम0सी0एस-एफ 88572	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	मोमिन आरा पिता-मो0 सलाउद्दीन ग्राम-सुलेमानगज पो0+थाना-सासाराम जिला-रोहतास एम0सी0एस- एफ 89041	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
25	नुरु मोहम्मद पिता-मो0 अलीमन ग्राम-वार्ड 20 बसबिट्टी रोड नगर परिषद पो0+थाना-सुपौल जिला-सुपौल एम0सी0एस-एफ 87273	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

26	महा देवी पति-राज कुमार महतो ग्राम-केराई वार्ड 7 पो0-केराई थाना-विभुतीपुर जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-एफ 87084	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
27	सलोनी कुमारी पिता-लक्ष्मण माझी ग्राम-मियाबीघा चोरबारा पो0-अरडी थाना-मेसकौर जिला-नवादा एम0सी0एस-एफ 85850	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	सध्या देवी पति-सजय महतो ग्राम-जिमरी पो0-कुनई भेलाही थाना-चिउटाहॉ जिला-प0 चम्पारण एम0सी0एस- एफ 83034	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
29	परेखा देवी पति-बिनोद मोची ग्राम+पो0-खम्हार थाना-मुफ्फसिल पी0एस0 जिला-बेगुसराय एम0सी0एस-एफ 88377	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
30	सत्यदेव साव पिता-सखीचद साव ग्राम+पो0-महावर थाना-दाउद नगर जिला-औरंगाबाद एम0सी0एस-एफ 86963	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
31	परिमन निशॉ पति-रमजान अली ग्राम-पिपरा बिजवारा पो0-कनखुदिया थाना-पलासी जिला-अररिया एम0सी0एस-एफ 87188	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
32	विन्देश्वरी राय पिता-स्व0 सुखदेव राय ग्राम-चकबारा पो0-बारा चकिया थाना-पीपरा जिला-पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस- एफ 79292	कैसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत।

33	किरण देवी पति-कमलेश कुमार सोनी ग्राम-कटर पो0-हसन बाजार थाना-पिरो जिला-भोजपुर एम0सी0एस-एफ 73754	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
34	मेहरुन खातुन पति-मो0 फिरोज मोहम्मद ग्राम-धोबडी पो0-बडगौव थाना-नारायणपुर जिला-भोजपुर एम0सी0एस-एफ 25704	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
35	देवीवती देवी पति-मालकेश्वर प्रसाद सिंह ग्राम-बस्ताकोला पो0-बगलबाडी थाना-कोचाधामन जिला-किशनगज एम0सी0एस-एफ 86945	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
36	सुनैनी देवी पति-रामचन्द्र राय ग्राम-गौरा वार्ड-4 पो0-गौरा थाना-गौरा बाजार जिला-सारण एम0सी0एस-एफ 88195	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
37	अनिल कुमार सिंह पिता-स्व0 रामनाथ सिंह ग्राम-वार्ड न0-1 बाबुगज पो0+थाना-तिलौथु जिला-रोहतास एम0सी0एस-एफ 76113	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
38	अरविन्द कुमार पिता-बिन्देश्वर साह ग्राम-वार्ड न0-6 सेवहि पो0-सेवहि थाना-तिलौथु जिला-रोहतास एम0सी0एस-एफ 87449	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
39	बैद्यनाथ महतो पिता-बिलट महतो ग्राम-धकजरी वार्ड 03 पो0-धकजरी थाना-अरेर जिला-मधुबनी एम0सी0एस-एफ 88129	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

40	हरिहर राम पिता-स्व० जगदीश राम ग्राम-ओरा पो-गोसाईपुर थाना-राजपुर जिला-बक्सर एम०सी०एस-एफ 88216	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
41	सजु देवी पति-चंद्रिका मॉझी ग्राम-जमालपुर नया टोला पो-प्रतापपुर थाना-थरथरी जिला नालदा एम०सी०एस-एफ 88132	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
42	नूरतारा पति मो० मुन्ना खान ग्राम-एम० एम० कोलनी पो-सीवान थाना-नगर जिला-सीवान एम०सी०एस-एफ 84016	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
43	मास्टर बबलु कुमार पिता-प्रभु कुमार मडल ग्राम-भवानीपुर पो-सीतापुर थाना-वीरपुर जिला-सुपौल एम०सी०एस-एफ 88871	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
44	मनु देवी पति-मृत्युजय सिंह ग्राम-कटेया टोला वार्ड 5 पो-टेकनवास थाना-महम्मदपुर जिला-गोपालगंज एम०सी०एस-एफ 88734	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
45	फेकनी देवी पति-जय प्रकाश प्रसाद ग्राम-चमडी पो-बॉस बीगहा थाना-धनरूआ जिला पटना एम०सी०एस-एफ 88629	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
46	धर्मेन्द्र तिवारी पिता-राम किशोर तिवारी ग्राम-पोखर भिडा पो-बिगहा थाना-माझी जिला-सारण एम०सी०एस-एफ 89166	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

47	मो० खलील असारी पिता-मो० वसीर असारी ग्राम-बद्री टोला पो०+थाना-चौसा जिला-मधेपुरा एम०सी०एस-एफ 86902	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
48	किरण देवी पति-अखिलेश राव ग्राम+पो०-लौकरीया थाना-बैरिया जिला-प० चम्पारण एम०सी०एस-एफ 43747	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
49	उर्मिला देवी पति-सत्येन्द्र पासवान ग्राम-दीघवाँ पो०-भदौरा थाना-मसौडी जिला-पटना एम०सी०एस-एफ 88136	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
50	नारायण महतो पिता-महादेव महतो ग्राम-शिकारपुर खरियाडीह पो०-शिकारपुर थाना-सोनपुर जिला-सारण एम०सी०एस-एफ 84645	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
51	महावीर कुमार पिता-निरबिन्दु उराव ग्राम-सेमरहनी पो०-सेमरा मेड्रॉल थाना-सेमरा जिला-प० चम्पारण एम०सी०एस-एफ 87394	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
52	राम कुमार साहु पिता-बच्चु साहु ग्राम-धर्मपट्टी पो०+थाना-राघोपुर जिला-सुपौल एम०सी०एस-एफ 87945	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
53	खलील अहमद पिता-फर्ज हुसैन ग्राम-सिटकोतवा वार्ड 5 पो०-साखे खास थाना-उचका गाव जिला-गोपालगज एम०सी०एस-एफ 87813	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

54	मन मोहन प्रसाद साह पिता-गोविन्द प्रसाद साह ग्राम-मेन रोड ठाकुरगज पो0+थाना-ठाकुरगज जिला-किशनगज एम0सी0एस-एफ 88634	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
55	दायबाती देवी पति-जालिम पटेल ग्राम+पो0-सोनिहार थाना-अलौली जिला-खगडिया एम0सी0एस-एफ 55948	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
56	अवधेश प्रसाद पिता-किशुन राम ग्राम-हर हर गगे स्टील्स वर्क्स ए एन रोड मुरारपुर पो0-हेड पोस्ट आफिस थाना-कोतवाली जिला-गया एम0सी0एस-एफ 86877	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
57	किरण देवी पति-गरभु सहनी ग्राम-शेख धनवत पो0-गिद्धा थाना-सरैया जिला-मुजफ्फरपुर एम0सी0एस-एफ 85480	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
58	ललिता देवी पति-दिनेश सिंह ग्राम-बोछाभाग पो0-खैरखान थाना-फारबीसगज जिला-अररिया एम0सी0एस-एफ 88143	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
59	भागमती देवी पति-सुरेश सिंह ग्राम-चदन टोला वार्ड 08 पो0-कमालपुर थाना-बरौली जिला-गोपालगज एम0सी0एस-एफ 37817	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
60	अरुण सिंह पिता-महेश सिंह ग्राम+पो0-सहथा थाना-भगवानपुर जिला-वैशाली एम0सी0एस-एफ 87422	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

61	रवि रजन कुमार पिता-मुकेश पासवान ग्राम-जहाँना पो0-बडी मलवा थाना-बिद जिला नालदा एम0सी0एस-एफ 80324	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
62	खुशी कुमारी पिता-सियाराम मोदी ग्राम+पो0-मोहदी नगर थाना-हलसी जिला-लखीसराय एम0सी0एस-एफ 88638	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
63	रूमा देवी पति-स्व0 कुलदीप महतो ग्राम-बेलहवा पो0-सिधाव थाना-नौरगीया जिला-प0 चम्पारण एम0सी0एस-एफ 88746	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
64	अनिता देवी पति-पिन्दु कुमार ग्राम-पिठौरी तखत पो0-पैगम्बरपुर थाना-बनियापुर जिला-सारण एम0सी0एस-एफ 88337	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
65	हिना खातुन पति-मो0 इकबाल ग्राम-पो0-सरसड थाना-कल्याणपुर जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-एफ 53471	कैसर रोग	30,000	तीस हजार स्वीकृत।
66	मास्टर आयाश कुमार पिता-लालु यादव ग्राम+पो0-गरखा थाना-लदनियौ जिला मधुबनी एम0सी0एस-एफ 88331	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
67	जिया कुमारी पति-रविन्द्र कुमार ग्राम-ब्रदी बिगहा पो0-देवरिया कला थाना-फेसर जिला-औरंगाबाद एम0सी0एस-एफ 88142	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

68	कविता देवी पति-गोपाल ठाकुर ग्राम-इटवॉ पो0-जय हिन्द तेन्दुआ थाना-माली जिला-औरंगाबाद एम0सी0एस-एफ 89212	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
69	उर्मिला देवी पति-इन्द्रदेव सिंह ग्राम-हनुमान नगर पो0-सिरौली थाना-रीगा जिला-सीतामढी एम0सी0एस-एफ 87646	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
70	राजेश राम पिता-शिव लाल राम ग्राम-सफापुर पो0-धर्म परसा थाना-माझागढ जिला-गोपालगज एम0सी0एस-एफ 75186	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
71	कुन्ती देवी पति-राम वरण प्रसाद ग्राम-कथनपुरा पो0-अजयपुर थाना-नुरसराय जिला-नालदा एम0सी0एस-एफ 88465	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
72	चचला देवी पति-दीन बन्धु ठाकुर ग्राम+पो0-भुरा थाना-त्रिवेणीगज जिला-सुपौल एम0सी0एस-एफ 75024	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
73	नीला देवी पति-ओम प्रकाश चौधरी ग्राम-शेखा मस्जिदवा पो0-शेखा मस्जिदवा थाना-मटियरिया जिला-प0 चम्पारण एम0सी0एस-एफ 88040	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
74	उमा देवी पति-सुदर्शन सिंह ग्राम-रूपसपुर पो0-धनौत थाना-रूपसपुर जिला-पटना एमसी0एस-एफ 87786	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

75	नाजमीन बेगम पति-अजीजुर रहमान ग्राम-पथर घट्टी पो0-बीबीगज थाना-कोधोबरी जिला-किशनगज एमसी0एस-एफ 47153	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
76	चद्रावती देवी पति-उदयचंद सोनी ग्राम+पो0-रघुनाथपुर थाना-रघुनाथपुर जिला-सीवान एमसी0एस-एफ 89145	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
77	सविता देवी पति-देवभासित ग्राम-नीमरा पो0-पडितगज थाना-कादीरगज जिला-पटना एमसी0एस-एफ 54287	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
78	मीना देवी पति-सुरेश साह ग्राम+पो0-किशनपुर थाना-बथनाहा जिला-सीतामढी एमसी0एस-एफ 59661	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
79	कविता देवी पति-प्रेम चन्द ठाकुर ग्राम+पो0-निमेज थाना-ब्रह्मपुर जिला-बक्सर एमसी0एस-एफ 89155	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
80	राधिका देवी पति-देव नारायण सिंह ग्राम-आटानगर पो0+थाना-इसुआपुर जिला-सारण छपरा एमसी0एस-एफ 88149	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
81	महलदार पति-कलीमुद्दीन ग्राम-अलताबाडी पो0-गागी हाट थाना-बहादुरगज जिला-किशनगज एमसी0एस-एफ 89033	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

82	शोभा देवी पति-तारकेश्वर सिंह ग्राम+पो0-रटैठा थाना-हवेली खडगपुर जिला-मुंगेर एमसी0एस-एफ 88619	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
83	अनिता देवी पति-जगदेव मेहता ग्राम-मसुरिया पो0-बनैली थाना-सरसी जिला-पूर्णिया एम0सी0एस-एफ 73332	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
84	धर्मनाथ प्रसाद पिता-विश्वनाथ प्रसाद ग्राम-मौना हुस्से छपरा पो0-साहेबगज थाना-नगर जिला-सारण एम0सी0एस-एफ 88470	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
85	अर्जुन मिस्त्री पिता-कन्हाई मिस्त्री ग्राम-कौडिया पो0-इगुना थाना कोच जिला-गया एमसी0एस-एफ 87165	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
86	बिमला देवी पति-राजु मडल ग्राम-बडी मोहनपुर पो0-खवासपुर थाना एकचारी जिला-भागलपुर एमसी0एस-एफ 88412	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
87	अनिल चौधरी पिता-राजेन्द्र मोती चौधरी ग्राम-सरैया वार्ड 07 पो0-फुलारी थाना-सदेश जिला-भोजपुर एम0सी0एस-एफ 86960	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
88	चदन कुमार साह पिता-गयानन्द साह ग्राम+पो0-मिर्जापुर थाना-सिमराहा जिला-अररिया एमसी0एस-ई0 29146	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

89	उषा देवी पति-सुदेश्वर सिंह ग्राम-सिआरुवा मोड जगदीशपुर वार्ड 18 पो0+थाना-जगदीशपुर जिला-भोजपुर एमसी0एस-एफ 64903	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
90	सुरेश सिंह पिता-मुशी सिंह ग्राम-कौलोडिहरी वार्ड 6 पो0-कौलोडिहरी थाना-चौरी जिला-भोजपुर एमसी0एस-एफ 87938	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
91	छठीया देवी पति-राम वरत मॉझी ग्राम-कशीला पचबेनिया पो0-कशीला थाना-असॉव जिला-सीवान एमसी0एस-एफ 48628	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
92	शर्मिला देवी पति-मुकेश राय ग्राम+पो0-झाझरा थाना-जितना जिला-पूर्वी चम्पारण एमसी0एस-एफ 89240	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
93	अनिता देवी पति-अखिलेश सिंह ग्राम-रतन सराय पो0-नानफारवा थाना-पताही जिला-पूर्वी चम्पारण एमसी0एस-एफ 68075	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
94	गंगा देवी पति-चन्देश्वर राय ग्राम-शिव नगर पो0-जुडावनपुर बरारी थाना-जुरावनपुर जिला-वैशाली एमसी0एस-एफ 88323	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
95	रामप्रीत यादव पिता-बुधन गोप ग्राम-छोटी कचहरी यादव टोला पो0+थाना-राजगीर जिला नालदा एमसी0एस-एफ 60452	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

96	कौशल कुमार पिता-मन्दु कुमार ग्राम+पो0+थाना-वेना जिला नालदा एमसी0एस-एफ 89234	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
97	लीलावती कुवर पति-स्व0 रविन्द्र प्रसाद ग्राम+पो0-सरमी थाना-सहाजितपुर जिला-सारण छपरा एमसी0एस-एफ 88005	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
98	कलाम आलम पिता-अब्दुल क्युम ग्राम-पो0-चरैया थाना-बायसी जिला पूर्णिया एमसी0एस-एफ 83670	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
99	मुलिया देवी पति-स्व सुरेश प्रसाद विश्वास ग्राम-कोढेली वार्ड 05 पो0-पलासी थाना-पलासी जिला अररिया एमसी0एस-एफ 56337	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
100	किरण कुमारी पति-कमलेश कुमार निराला ग्राम-शेरपुर पो0-गुरुआ थाना-गुरुआ जिला गया एमसी0एस-एफ 88131	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
101	प्रदीप पोद्दार पिता-सीताराम पोद्दार ग्राम-स्टेशन रोड पो0-बेगुसराय थाना-टाउन जिला-बेगुसराय एमसी0एस-एफ 84756	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
102	पवन कुमार दुबे पिता-सजय दुबे ग्राम+पो0-बडकी बसौली थाना-औद्योगिक जिला-बक्सर एमसी0एस-एफ 43035	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

103	मोहम्मद रउफ मसुरी पिता-मो० कल्लु मसुरी ग्राम-रुकुम टोला पो०-कैलगढ थाना-बडहरिया जिला सीवान एमसी०एस-एफ 76232	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
104	रिकु देवी पति-विभास कुमार ग्राम-सहबाजपुर पो०-चौकी थाना-खिजरसराय जिला-गया एमसी०एस-एफ 81819	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
105	सजीव कुमार सिन्हा पिता-स्व० ठाकुर प्रसाद मडल ग्राम-सलैद्रा पो०-रामपुर थाना-शिवनारायणपुर जिला-भागलपुर एमसी०एस-एफ 88280	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
106	मीरा प्रसाद रजक पिता-फकीरा रजक ग्राम-न्यु एतवारपुर लालु पथ पो०-कुथौल थाना-परसा बाजार जिला-पटना एमसी०एस-एफ 86706	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
107	हीना कुमारी पति-श्रीकान्त पासवान ग्राम-अब्बदुल्लाहपुर पो०-कचनपुर थाना फतुहा जिला पटना एमसी०एस-एफ 88076	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
108	किरण देवी पति-महेश मुखिया ग्राम- बरैया टोला पो०-जगतपुर थाना-रहिका जिला-मधुबनी एमसी०एस-एफ 87881	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
109	सुरेन्द्र कुमार सिंह पिता-स्व० हरफ लाल सिंह ग्राम-कोल्हा बनवारी पो०-सिधिया थाना+जिला-किशनगंज एमसी०एस-एफ 69587	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

110	रामाधार सिंह पिता-गंगा सिंह ग्राम-जीत बीगहा पो-कमेनी थाना-रामपुर चौरम जिला-अरवल एमसी0एस-एफ 86130	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
111	धर्मशीला देवी पति-फेकन पासवान ग्राम-टिलहार पो0-खुसरूपुर थाना-खुसरूपुर जिला-पटना एमसी0एस-एफ 85909	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
112	मदीना खातुन पति-'मो0 कलाम ग्राम-सैदपोखर पो0+थाना-सिकटी जिला-अररिया एमसी0एस-एफ 86235	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
113	सुरेन्द्र शर्मा पिता- परमेश्वर सिंह ग्राम-ब्लॉक के पीछे गांधी नगर, पो0+थाना-मसौडी जिला-पटना एमसी0एस-एफ 60028	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
114	मिन्दु कुमारी पति-किसुनदेव सहनी ग्राम+पो0-महमदपुर बलमी थाना-मोतीपुर जिला-मुजफ्फरपुर एमसी0एस-एफ 88376	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
115	नीरो देवी पति-बिशुनदेव पासवान ग्राम-रामटोला बालुपर पो0-दामोदरपुर थाना+जिला-लखीसराय एमसी0एस-एफ 88305	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
116	सोनु कुमार पिता-अरविन्द राम ग्राम-खजुरा पो0-दामोदरपुर बलथा थाना-नगरनौसा जिला नालदा एमसी0एस-एफ 70125	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

117	सतीश चन्द्र झा पिता-स्व० हरिश्चन्द्र झा ग्राम-बहोरा पो०-बुढिया धनघट्टा थाना-सरसी जिला-पूर्णिया एमसी०एस-एफ 84615	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
118	राधेश्याम सिंह पिता-जनार्दन सिंह ग्राम-नया टोला पोस्ट+थाना-बुढुचक जिला भागलपुर एमसी०एस-एफ 76995	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
119	सुशील कुमार सिंह पिता-स्व० लाल बहादुर सिंह ग्राम-पैकपार वार्ड 11 पो०-पैकपार थाना-भरगामा जिला अररिया एमसी०एस-एफ 65403	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
120	रेवती दास पिता-दसई दास ग्राम-पो०-विभुतीपुर थाना-विभुतीपुर जिला-समस्तीपुर एमसी०एस-एफ 41889	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
121	प्रमिला देवी पति-शम्भु पडित ग्राम-नेवाजी टोला पो०-गुरुकुल मेहिया थाना-मुफ्फसिल जिला-सारण छपरा एमसी०एस-एफ 88509	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
122	गीता देवी पति-शिव बचन यादव ग्राम-बेतौरा पो०+थाना-बेउर जिला पटना एमसी०एस-ई० 48112	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
123	जगरनाथ प्रसाद पिता-नथुनी प्रसाद ग्राम-पो०-करमवा थाना-मझौलीया जिला-प० चम्पारण एमसी०एस-एफ 88042	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

124	सुमन देवी पति-प्रयाग साव ग्राम-सेल्हौरी बाग पो0-बेल्हौरी थाना-दुल्हन बाजार जिला-पटना एमसी0एस-ई0 92760	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
125	अमर राज पिता-राजदीप कुमार ग्राम-बाजितपुर वार्ड 3 पो0-वार थाना-मदनपुर जिला-औरंगाबाद एमसी0एस-एफ 88937	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
126	सोनमती देवी पति-गोविन्द कुमार ग्राम-तुर्क ऐजनी पो0-विरूपुर थाना-विरूपुर जिला-लखीसराय एमसी0एस-एफ 71851	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
127	श्यामा देवी पति-सुरन मडल ग्राम+पो0-पवई डीह थाना-अमरपुर जिला-बाका एमसी0एस-एफ 85812	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
128	रजत कुमार पिता-रजीत प्रसाद ग्राम+पो0-ढेलवा थाना-राम कृष्ण नगर जिला-पटना एमसी0एस-एफ 89221	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
129	गायत्री देवी पति-राज कपुर चौधरी ग्राम-महुआ सिंह राय पो0+थाना-महुआ जिला-वैशाली एमसी0एस-एफ 88859	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
130	सजीता देवी पति-राम बाबु पासवान ग्राम-रत्नोपट्टी पो0-शुभकरपुर थाना-नगर जिला-दरभंगा एमसी0एस-एफ 65223	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

131	जगदेव यादव पिता-स्व० रामेश्वर यादव ग्राम-पिलखी वार्ड 11 पो० नेकपुर थाना-राजगीर जिला नालदा एमसी०एस-एफ 87005	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
132	मट्टु प्रसाद श्रीवास्तव पिता-महेन्द्र लाल ग्राम-जादोपुर पो०-महुआव थाना-तियर जिला-भोजपुर एमसी०एस-एफ 88130	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
133	बीना देवी पति-राजेन्द्र कुमार चौरसीया ग्राम+पो०-अर्जुनपुर थाना-औद्योगिक जिला-बक्सर एमसी०एस-एफ 79257	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
134	अजय कुमार शर्मा पिता- किशन लाल शर्मा ग्राम-बगाली बाजार सहरसा पो०+थाना-सहरसा जिला सहरसा एमसी०एस-एफ 8864	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
135	अनुराज पिता-राम प्रवेश यादव ग्राम-छोटी बलिया मसूरचक पो०-लखमिनिया थाना-बलिया जिला-बेगुसराय एमसी०एस-एफ 78431	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
136	अजु देवी पति-बुलेट साह ग्राम-पो०-कोईनी थाना-माझागढ जिला-गोपालगज एमसी०एस-एफ 77671	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
137	बबीता देवी पति-राम प्रवेश रजत ग्राम-बुढा कोलनी पो०+थाना-हाजीपुर जिला-वैशाली एमसी०एस-एफ 74814	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

138	ललीत कुमार सिंह पिता-स्व० गनौरी सिंह ग्राम-बेलई पो०-गोलकपुर थाना-घोषी जिला जहानाबाद एमसी०एस-एफ 8692	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
139	अशु राज पिता-रौशन पासवान ग्राम+पो०-बकसमा थाना-गोरौल जिला वैशाली एमसी०एस-एफ 81233	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
140	खुशी कुमारी पिता-शभु चौधरी ग्राम-धुसरीया पो०-बबुरीया थाना-बडहरा जिला-भोजपुर एम०सी०एस-एफ 78456	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
141	रमाकात साह पिता-भागवत साह ग्राम-पो०-कौडीहार थाना-गम्हरीया जिला मधेपुरा एमसी०एस-एफ 61791	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
142	उमाकात कुमार पिता- किशुनदेव प्रसाद ग्राम- रघुनाथपुर मठिया पो०- सैदाबाद थाना- रानी तालाब जिला- पटना एमसीएस न०- एफ 75794	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
143	सीता देवी पति- नीलकमल पासवान ग्राम+पो०+थाना- औगारी जिला- नालदा एमसीएस न०- एफ 84000	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
144	राम खेलावन पासवान पिता- मक्शन पासवान ग्राम- मझौरा पो०- भीखा थाना- बेला जिला- सीतामढी एमसीएस न०- एफ 81795	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

145	मीना देवी पति- भोला प्रसाद ग्राम- दरिया छपरडा वार्ड 09 पो0- महमदपुर बल्मी थाना- मोतीपुर जिला- मुजफ्फरपुर एमसीएस न0- एफ 88678	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
146	किरण देवी पति- सुरेद्र राम ग्राम- अदारी पो0- जैतिया थाना- गौरीचक जिला- पटना एमसीएस न0- एफ 88504	कैसर रोग	1,70,000	एक लाख सत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
147	पूनम कुमारी पति- बिपिन कुमार ग्राम- मुगरौरा पो0- जमालपुर थाना- इस्ट कॉलोनी जिला- मुंगेर एमसीएस न0- एफ 85309	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			1,03,20,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,03,20,000/- (एक करोड़ तीन लाख बीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196837 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 3601018437 खाता धारक का नाम- 'महावीर कैसर इंस्टीच्युट एंड रिसर्च सेंटर (बी0जी0) रीसीप्ट, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम -चितकोहरा ब्रांच, अनिसाबाद, पटना RTGS/IFSC कोड सं0 CBIN 0282779 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्योरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- 'मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष', खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379,

शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

513(14)

पटना, दिनांक

24/2/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176837 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान,
शेखपुरा, पटना-14 ।

पटना, दिनांक ...

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 19.02.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अल्का कुमारी पति-रजन कुमार झा ग्राम-सहरसा सिहौल पो०-सिहौल थाना-बिहरा जिला-सहरसा सीआरन०-108112500009267	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	बगाली मडल पिता-धोवी मडल ग्राम-तेतरिया पो०-थाना-सोनो जिला-जमुई सीआरन०-108112300431860	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	नीतु दाई देवी पति-विसेख यादव ग्राम-'बरारही पो०-दालख थाना-भेजा जिला-मधुबनी सीआरन०-108112403477302	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	ब्रह्मदेव दास पिता-बाबा डेगन दास ग्राम+पो०-सिरनावॉ थाना-वेना जिला नालदा सीआरन०-108112403350311	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	अमन कुमारी पिता-प्रमोद यादव ग्राम-तोप नबाबगज पो0-फुलकाहा बाजार थाना फुलकाहा जिला-अररिया सीआरन0-108112400158583	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	शिवजी पासवान पिता-राजेन्द्र पासवान ग्राम--दुर्गापुर पो0+थाना-राघोपुर जिला वैशाली सीआरन0-108112402756313	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	भिखारी ताती पिता-झगरू ताती ग्राम-महुआ सिंह राय पो0-महुआ थाना-महुआ जिला वैशाली सीआरन0-18112403704261	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	शैलेन्द्र कुमार राय पिता-श्याम नन्दन राय ग्राम-परसा वार्ड 15 पो0-बैरा थाना-जय नगर जिला-मधुबनी सीआरन0-108112400320399	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	मीना देवी पति-भरत प्रसाद ग्राम-शिवगज वार्ड 8 पो0-नरकटियागज थाना-शिकारपुर जिला-प0 चम्पारण सीआरन0-108112300187985	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	उषा कुमारी पति-स्व0 सतोष कुमार ग्राम-पो0-कुआरी मदन थाना-मेजरगंज जिला-सीतामढी सीआरन0-108112403741654	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	गीता देवी पति-किशोर यादव ग्राम-पहलपुरा पो0-नैनपुरा थाना जी0बी0 नगर जिला-सीवान सीआरन0-108112400794161	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	जया देवी पति-जालो यादव ग्राम-करारी टोला पो0-तौफीर थाना-मुफसिल जिला-मुगेर सीआरन0-108112500112033	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	सुरज प्रसाद पिता-चमारी राम ग्राम-मानपुर बैजनाथ सहाय लेन पो0+थाना-बुनियादगंज जिला-गया सीआरन0-108112400371520	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	अनुज मिस्त्री पिता-दुखी मिस्त्री ग्राम-बिकम पो0-कचियाना थाना-अमहरा जिला-लखीसराय सीआरन0-108112400182531	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	तुलसी देवी पति-नरेश सिंह ग्राम-तेलडीहा पो0+थाना-टिकापट्टी जिला-पूर्णिया सीआरन0-108112301020995	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	सोहनी कुमारी पिता-रिकेश राम ग्राम+पो0-राय कररिया थाना-पहाडपुर जिला-पूर्वी चम्पारण सीआरन0-108112500073925	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	उषा कुमारी पिता-विश्वनाथ शर्मा ग्राम-कैलाशपुरी वार्ड 10 पो0+थाना-डुमरा जिला-सीतामढी सीआरन0-108112500201206	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
18	किरण कुमारी पति-शिवजी कुमार ग्राम+पो0-कचरा थाना-सौर बाजार जिला-सहरसा सीआरन0-108112403734925	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
19	सुनैना देवी पति-आदित्य प्रसाद सिंह ग्राम-साहेब टोला बिहिया पो0-बिहिया थाना-बिहिया जिला-भोजपुर सीआरन0-108112403512337	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

20	मीटु कुमार पिता-गौरी शंकर सिंह ग्राम+पो0-आजमपुर थाना-देसरी जिला-वैशाली सीआरन0-108112403706531	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	योगेन्द्र साह पिता-सियाराम साह ग्राम-कालापट्टी पो0+थाना-पीपरा जिला-सुपौल सीआरन0-108112500163151	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	नेहा कुमारी पिता-रजीत ग्राम-पो0-माधोपुर थाना-चिरैया जिला-पूर्वी चम्पारण सीआरन0-108112300247546	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	शिवधारी राय पिता-चन्द्रिका राय ग्राम+पो0-बुढरा थाना-अथमलगोला जिला-पटना सीआरन0-108112403809691	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	कमलेश्वर महतो पिता-सुरज महतो ग्राम-तिसिऔता पो0+थाना-तिसिऔता जिला-वैशाली सीआरन0-108112403319316	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
25	इद्रावती देवी पति-गोरख यादव ग्राम-बरईपट्टी वार्ड 14 पो0-छाप मठिया थाना-मीरगज जिला-गोपालगज सीआरन0-108112500118180	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
26	कामेश्वर ठाकुर पिता-महादेव ठाकुर ग्राम-उफरौल पो0-बखरा थाना-सरैया जिला-मुजफ्फरपुर सीआरन0-108112403715645	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

27	कारो देवी पति-राम जीवन पासवान ग्राम-पो0-माधोपुर थाना-लौकहा जिला-मधुबनी सीआरन0-108112500201419	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	पानो देवी पति-राम नारायण पासवान ग्राम-नगर पचायत नरपतगंज पो0-राजगज था0-फुलकाहा जिला-अररिया सीआरन0-108112401672299	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	सीमा देवी पति-जुगेश्वर शर्मा ग्राम-मानिकपुर वार्ड 09 पो0-सरैया थाना-सरैया जिला-मुजफ्फरपुर सीआरन0-108112403523991	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
30	शकर प्रसाद पिता-लखि चन्द्र प्रसाद ग्राम-पो0-चकदरा थाना-चेवाडा जिला-शेखपुरा सीआरन0-108112403835446	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
31	गुजा कुमारी पति-मृतुजय तिवारी ग्राम-हिरौता दुम्मा वार्ड 11 पो0-हिरौता दुम्मा थाना-हिरम्मा जिला-शिवहर सीआरन0-108112300050815	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
32	सरस्वती देवी पति-राज किशोर प्रसाद ग्राम-पो0-मोधोपुर थाना-बरौली जिला गोपालगज सीआरन0-108112500087977	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
33	माला देवी पति-अनमोल यादव ग्राम-सखुआ वार्ड 10 पो0-बभनगामा थाना-त्रिवेणीगज जिला-सुपौल सीआरन0-108112300626393	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

34	सबिता देवी पति-जगन नाथ राव ग्राम-बरिअरवा वार्ड 12 पो0-बरिअरवा थाना-चौतरवा जिला-पो चम्पारण सीआरन0-108112500057806	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
35	पारसमणी देवी पति-मोहन मडल ग्राम-बस स्टैंड बनमनखी पो0-बनमनखी थाना-बनमनखी जिला पूर्णिया सीआरन0-108112500190221	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
36	पुना देवी पति-सजय यादव ग्राम+पो0-समदा थाना-सौर बाजार जिला-सहरसा सीआरन0-108112402526270	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
37	राज दुलारी देवी पति-जनार्दन दास ग्राम-मझलापुर वार्ड 15 पो0-धबौली थाना-मुफसिल जिला-बेगुसराय सीआरन0-108112500164688	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
38	राम पतिया देवी पति-राम अयोध्या राय ग्राम-चतर छपरा पो0-अरविन्द नगर थाना-दीघवारा जिला-सारण सीआरन0-108112500112165	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
39	बिकास मोहली पिता-लीलो मोहली ग्राम-गगटा पो0-पिलुआ झरना थाना-बौसी जिला-बाका सीआरन0-108112301033655	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
40	प्रेम यादव पिता-शकर यादव ग्राम-सबईजोर वार्ड 12 पो0-बोरवा थाना-झाझा जिला जमुई सीआरन0-108112400342856	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

41	महेन्द्र चौहान पिता-दुखन चौहान ग्राम-जमुआवन बेलदारी पो0-धाधर थाना-वजीरगज जिला-गया सीआरन0-108112402033753	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
42	मजु देवी पति-अरुण राय ग्राम-रामपुर पगरा पो0-पगरा थाना-दलसिहसराय जिला-समस्तीपुर सीआरन0-108112300134661	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
43	शैली देवी पति-शिव शकर राय ग्राम-पो0-महिसारी थाना-उजियारपुर जिला-समस्तीपुर सीआरन0-108112403406685	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
44	मनोज रजक पिता-बखौरी रजक ग्राम-न्यू बिग्रहपुर इदिरा नगर रोड न0-9सी पो0-जी0पी0ओ0 थाना-जक्कनपुर जिला-पटना सीआरन0-108112500051531	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
45	सुरेश यादव पिता-नेवी यादव ग्राम-मुजौना पो0-हरिपुर थाना-अलौली जिला-खगडिया सीआरन0-108112403776962	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
46	अरविन्द राय पिता-हरेन्द्र राय ग्राम-रोहुआ वार्ड 5 पो0-शाहपुर थाना-जन्दाहा जिला-वैशाली सीआरन0-108112300219160	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
47	सुनील मडल पिता-गोविन्द मडल ग्राम-गोपालकेरा थाना-माडर जिला-गया सीआरन0-108112500136358	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।

48	माधुरी देवी पति-मुकेश कुमार ग्राम-शिवगढ पो0-दतियाना थाना-बिक्रम जिला-पटना सीआरन0-108112300158764	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
49	अवधेश प्रसाद पिता-स्व0 इन्द्रदेव यादव ग्राम-जमन बीघा वार्ड 8 पो0-खलीलाबाद थाना-कादिरगज जिला-पटना सीआरन0-108112301074548	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
50	शीला देवी पति-शक्ति सिंह ग्राम-बिटण्डीपुर वार्ड 06 पो0-बिटण्डीपुर थाना-जन्दाहा जिला-वैशाली सीआरन0-108112402624727	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
51	मजु देवी पति-योगेन्द्र भगत ग्राम-तकीपुर वार्ड 1 पो0-तकीपुर थाना-महाराजगज जिला-सीवान सीआरन0-108112402663439	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
52	गुलबिया देवी पति-विन्धयाचल राम ग्राम-पो0-हेदुआ थाना-राजपुर जिला-बक्सर सीआरन0-108112300055256	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
53	मजु देवी पति-मदन साह ग्राम-सिरसा मानपुर पो0-दिघवा दुबौली थाना-बैकुंठपुर जिला-गोपालगज सीआरन0-108112402022531	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
54	सोमित्रा देवी पति-राम रेखा राय ग्राम-उकनी पो0-चमनपुर थाना-शिवहर जिला-शिवहर सीआरन0-108112300050891	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

55	बबीता देवी पति-अजय शर्मा ग्राम-भदवास वार्ड 03 पो0-हसनपुर थाना-महुआ जिला-वैशाली सीआरन0-108112401046711	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
56	सीता राम साह पिता-रामदेव साह ग्राम-झीटकहिया वार्ड 05 पो0-महुआवा थाना-बथनाहा जिला-सीतामढी सीआरन0-108112402000448	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
57	सुशीला देवी पति-मुरारी साव ग्राम-सदीसोपुर पो0-सदीसोपुर थाना-नौबतपुर जिला-पटना सीआरन0-108112402103646	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
58	आरती देवी पति-कारु सिंह ग्राम-थामहावन पो0-शाइस्तापुर थाना-अथमलगोला जिला-पटना सीआरन0-108112500118431	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
59	इन्दु देवी पति-वरुण दिनेश ग्राम-तेली टोला थाना के पास पो0-दाउदनगर थाना-दाउदनगर जिला-औरंगाबाद सीआरन0-108112402505230	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
60	रुकमणी देवी पति-जितेन्द्र कुमार सिंह ग्राम-पो0-सम्हरी गढ थाना-रोह जिला-नवादा सीआरन0-108112400715598	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
61	रश्मि पति-अरविन्द कुमार श्रीवास्तव ग्राम-इदु कुआ सूर्य नारायण मंदिर के पीछे पो0-अनिसाबाद थाना-गर्दनीबाग जिला-पटना सीआरन0-108112300735141	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

62	राम दयाल सिंह पिता—इनर सिंह ग्राम—बालाटाड पो0—बालाटाड थाना—बिदुपुर जिला—वैशाली सीआरन0—108112403412685	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
63	दामोदर महतो पिता—लेवी महतो ग्राम—नवटोलिया वार्ड 10 पो0—भरको थाना—अमरपुर जिला—बाका सीआरन0—108112402639953	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
64	शशि किरण कुमारी पति—राजगीर महतो ग्राम—अख्तियारपुर सेहान वार्ड 11 पो0—सेहान थाना—कटहरा जिला—वैशाली सीआरन0—108112402749171	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
65	शाहजहा खुतुन पति—बदरुद्दीन असारी ग्राम—फुर्सतपुर वार्ड 01 पो0—सुतिहार थाना—डेरनी जिला—सारण सीआरन0—108112403761566	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
66	मीना देवी पति—नारायण पासवान ग्राम—खोचरदेवा वार्ड 01 पो0—भवदेवा थाना—सलखुआ जिला—सहरसा सीआरन0—108112401884831	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
67	अर्चना शर्मा पति—विनय कुमार ग्राम—केशौरी वार्ड 0 पो0—केशौरी थाना—पकरीबरावा जिला—नवादा सीआरन0—108112400135231	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
68	उमाकांत झा पिता—सिहेश्वर झा ग्राम—सझा घाट वार्ड 09 पो0—सझाघाट थाना—धमदाहा जिला पूर्णिया सीआरन0—108112401598374	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

69	लालदेव सिंह पिता—देवचंद सिंह ग्राम—शेरपुरा पंचदेवता वार्ड 22 पो0—टिकारी थाना—टिकारी जिला गया सीआरन0—108112401058841	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
70	मौ0 सलीम पिता—उसमान मिया ग्राम—बिशनपुर पो0—थाना—परसा जिला—सारण सीआरन0—108112500152698	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
71	नईमा खातुन पति—हसमत अली ग्राम—नवादा वार्ड स0—07 पो0—मधेपुर थाना—मादेपुर जिला—मधुबनी सीआरन0—108112300137791	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
72	मौ0 सुलेमान पिता—मौ0 खबीरुद्दीन ग्राम—मुस्लिम टोला बौलिया पो0—दिलावरपुर थाना—मनिहारी जिला—कटिहार सीआरन0—108112403719519	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
73	तरन्नुम खातुन पति फ़ैयाज साई ग्राम—माधोपुर बैरिया पो0 अमोलवा थाना गौनाहा जिला—प0 चम्पारण सीआरन0—108112301149424	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
74	मौ0 अपफान अली पिता—मौलवी जुल्लुर रहमान ग्राम—कुमहरा पो0—खुदना थाना—रौतारा जिला कटिहार सीआरन0—108112500041691	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
75	मौ0 रफीक पिता—मौ0 इसाफ ग्राम+पो0—घोसरामा थाना—हत्था ओ0पी0 जिला—मुजफ्फरपुर सीआरन0—108112403636800	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

76	मोहम्मद गफुर पिता-मोहम्मद झोटन ग्राम-पिपराही पो0-दीनापट्टी थाना-पिपरा जिला-सुपौल सीआरन0-108112403817154	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृतो
77	तबरेज पिता-जाहिर ग्राम भुना वार्ड 13 पो0-भुना थाना-महलगाव जिला-अररिया सीआरन0-108112403687803	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृतो
78	जितनी खातुन पति-सुएब खान ग्राम-खडका तेलवा पो0+थाना-नौहट्टा जिला-सहरसा सीआरन0-108112403081069	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृतो
79	नजमा खातुन पति-मो0 हैदर असारी ग्राम-दरगाह रोड कटरा मडई पो0-महेन्दु थाना- सुल्तानगंज जिला पटना सीआरन0-108112500197861		50,000	पचास हजार स्वीकृतो
80	मेराज अंसारी पिता-अनवर असारी ग्राम-मठवा वार्ड 13 पो0-तुरकौलीया थाना-तुरकौलीया जिला प0 चम्पारण सीआरन0-108112403413851	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृतो
81	काबुल पिता-ताफिजुल हक ग्राम-लखनपुर वार्ड 10 पो0-दिल्ली दिवानगज थाना-अमदाबाद जिला-कटिहार सीआरन0-108112403767131	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृतो
82	मोहम्मद जसिम पिता-इदरीश ग्राम-पीरगज पो0-नरही थाना-किशनपुर जिला-सुपौल सीआरन0-108112402606117	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृतो

83	प्रभावती देवी पति-शिव नाथ सिंह ग्राम+पो0-चैलाभार थाना-मझौलीया जिला-प0 चम्पारण सीआरन0-108112402677359	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
84	मैथिली सिंह पति-अजय कुमार ग्राम-ब्लॉक ए0 फ्लैट 13 पो0-लोहिया नगर थाना-ककडबाग जिला-पटना सीआरन0-108112403016551	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
85	अफरोजी खातुन पति-शहनवाज खान ग्राम-खडेल वार्ड 11 पो0-बिशुनपुरा थाना-शेरघाटी जिला-गया सीआरन0-108112401900755	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
86	जैतुन खातुन पति-मुनीर मिया ग्राम-छगराहॉ नयका टोला वार्ड-03 पो0-छपरा बहास थाना-सुगौली, जिला-पूर्वी चम्पारण सीआरन0-108112401250203	कैसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
87	कौशर अली खान पिता-अहमद वारी खान ग्राम-कचुरबारी पो0-आदापुर थाना-हरपुर जिला-पूर्वी चम्पारण सीआरन0-108112300120082	कैसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
88	मो0 चोंद पिता-मो0 अमिन ग्राम+पोस्ट-लावापुर नारायण थाना-महनार जिला-वैशाली सीआरन0-1081124020777	कैसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
89	सुर्यनाथ सिंह पिता-दशरथ सिंह ग्राम-छोकराहॉ पो0-बिहटा थाना-इमादपुर जिला-भोजपुर सीआरन0-108112402021828	कैसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत।

90	शायदा बेगम पति-मोहरम मिया ग्राम-पो0-हुलेसरा थाना-भगवानपुर हाट जिला-सीवान सीआरन0-108112301064062	कैंसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
91	सजुक्ता सिंह पति-देवेन्द्र सिंह ग्राम-पलैट न0-106 लकट घाट पो0-जी0पी0ओ0 थाना-पाटलीपुत्रा जिला-पटना सीआरन0-108112300673863	हृदय रोग पी0टी0सी 0 ए0	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
92	प्रेम कुमार पिता-प्रमोद कुमार ग्राम-बिशनपुर वार्ड 12 पो0-बासुदेवपुर थाना-लौकहा जिला-मधुबनी सीआरन0-108112403240744	ब्रेन टयुमर	75,000	पचहतर हजार स्वीकृत।
93	जगत रजन यादव पिता-दशरथ यादव ग्राम-द्वारम पो0-सुदै रतौली थाना-फुलपरास जिला मधुबनी सीआरन0-108112400430488	किडनी रोग दवा	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
94	चदेश्वर महतो पिता-स्व0 सुग्रीव महतो ग्राम-मोरियावा वार्ड 04 पो0-दतियाना थाना-बिक्रम जिला-पटना सीआरन0-108112500001045	किडनी रोग दवा	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
95	जय गणेश पटेल पिता-राम दयाल पटेल ग्राम-बरडीहा तुर्की वार्ड 02 पो0-बरडीहा तुर्की थाना-पातेपुर जिला-वैशाली सीआरन0-108112300268144	किडनी रोग दवा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
96	सुषमा देवी पति-रघुवीर कुमार ग्राम-अमनाबाद पो0-कटेसर थाना-बिहटा जिला-पटना सीआरन0-108112301100859	किडनी रोग दवा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

97	शिव शंकर पासवान पिता-राजनाथ पासवान ग्राम+पो0-एकबालगज निसरपुरा थाना-रानी तालाब जिला-पटना सीआरन0-108112300070701	किडनी रोग दवा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
98	आदित्य निराला पिता-जनार्दन प्रसाद सिंह ग्राम-हरनही पो0-बिमवा थाना-जगदीशपुर जिला-भोजपुर सीआरन0-108112400028329	किडनी रोग दवा	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
99	दिनेश प्रसाद पिता-रामदेव प्रसाद ग्राम-पलैटन0-402 वैष्णवी एन्कलेब आर0कै0 पुरम मटियापुर रोड पो0-दानापुर कैट, थाना-दानापुर जिला-पटना सीआरन0-108112300116930	RE PHACO	10,000	दस हजार स्वीकृत।
100	शिवजी यादव पिता-जादु यादव ग्राम-बसतपुर पो0-हुस्सेपुर थाना-एकमा जिला-सारण सीआरन0-108112500221509	RE Cataract	15,000	पन्द्रह हजार स्वीकृत।
101	शम्भु साह पिता-राम पुकार साह ग्राम-मारर पो0-कसार थाना-बेलसड जिला-सीतामढी सीआरन0-108112300160599	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
102	मजु देवी पति-सुधीर सिंह ग्राम-रामसापुर पो0-खरिका थाना-सोनपुर जिला-सारण सीआरन0-108112300907392	कैसर रोग	70,000	सतर हजार स्वीकृत।
103	सुधा देवी पति- बैजनाथ यादव ग्राम+पो0- मिटुनिया थाना- बहेरी जिला- दरभंगा सीआर न0- 108112403784078	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

104	राजकिशोर महतो पिता- रमेन्दर महतो ग्राम- छतौना पो0- छतौना विशनपुर थाना- पिपराही जिला- शिवहर सीआर न0- 10811250000201	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
105	राधे मुखिया पिता- दामोदर मुखिया ग्राम- झखरा पो0- सिसौना थाना- महिषी जिला- सहरसा सीआर न0- 108112500056206	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
106	कमलेश कुमार सिंह पिता- नामिन्द्र सिंह ग्राम- पुरानी हॉस्पिटल रोड नबीनगर पो0+थाना- नबीनगर जिला- औरंगाबाद सीआर न0- 108112401036333	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
107	मनीया देवी पति- विश्वनाथ यादव ग्राम- सरस्वती पो0- देवोत्तर थाना- बनमखी जिला- पूर्णियाँ सीआर न0- 108112500097646	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
108	शाह जमाल पिता- मकबूल हुसैन ग्राम- रतनी पो0- पर्भेली थाना- कदवा जिला- कटिहार सीआर न0- 108112400546184	हृदय रोग स्टेन्ट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
109	मो0 सलीम पिता- मो0 कमरुद्दीन ग्राम- डुमरी कोठी एक्सहिबिशन रोड पो0- जी0पी0ओ0 थाना- गाँधी मैदान जिला- पटना सीआर न0- 108112402840675	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
110	धर्मशीला देवी पति- लालबाबू राय ग्राम+पो0- धोबौली थाना- बिदुपुर जिला- वैशाली सीआर न0- 108112500030541	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

111	उदय चौधरी पिता- बासुदेव चौधरी ग्राम- बाहापुर पो0- खुशरूपुर थाना- सालीमपुर जिला- पटना सीआर न0- 108112300548741	किडनी दवा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
112	राजकुमार ओझा पिता- योगेद्र ओझा ग्राम- भिखमपुर पो0- बिजबनिया थाना- सिरिसिया जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न0- 108112403718351	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
113	नदू साह पिता- अर्जुन साह ग्राम+पो0+थाना- कोपा जिला- सारण सीआर न0- 108112500202024	हृदय रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
114	नूतन चौधरी पति- परमानन्द चौधरी ग्राम+पो0- लगमा थाना- सकतपुर जिला- दरभंगा सीआर न0- 108112500056001	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
115	लालबाबु यादव पिता-राम सेवक यादव ग्राम-पाडेय बीघा पो0-पडितगज थाना-कादीरगज जिला पटना सीआरन0-108112403163901	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
116	सजय कुमार राम पिता-राम अवतार राम ग्राम-पो0-सुतीहार थाना-डेरनी जिला सारण सीआरन0 अकित नही है।	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
117	अनुराधा पति- राजीव रजन ग्राम- चद्र विहार कॉलोनी आशियाना दीघा रोड पो0- आशियाना नगर थाना- राजीव नगर जिला- पटना सीआर न0- 108112401432158	कैसर रोग	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।

118	चमक लाल साह पिता- लक्ष्मण साह ग्राम- प्रतापपुर पो0- कदराचक थाना- शभुगज जिला- बाका सीआर न0- 108112500228201	स्पाइन सर्जरी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
119	नन्देलाल प्रसाद पिता- कामेश्वर यादव ग्राम- बसमन बीघा पो0+थाना- बिहारशरीफ जिला- नालदा सीआर न0- 108112401949592	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
120	मकेश्वर प्रसाद पिता- श्रवण प्रसाद ग्राम- गदाईचक पो0- महदेईयों थाना- मीनापुर जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 108112403392269	युरेथ्रल स्ट्रक्चर	25,000	पचीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
121	लालपति देवी पति-राजेन्द्र राय ग्राम-सुकसेना पो0-मुबारकपुर थाना-मढौरा जिला-सारण सीआरन0-108112500124643	कैसर रोग	1,30,000	एक लाख तीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
122	इद्रजीत कुमार पिता- नरेश राय ग्राम- नूरपुर चांदमारी पो0- चांदमारी थाना- शाहपुर जिला- पटना सीआर न0- 108112300270882	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			83,60,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 83,60,000/- (तेरासी लाख साठ हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता संख्या- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 176837 आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-503 2011 9556 खाता धारक का नाम-“निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं0 शेखपुरा पटना”खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-इंडियन बैंक, शाखा का नाम-आई0जी0आई0एम0एस0, शेखपुरा पटना, 800014 RTGS/IFSC कोड सं0 IDIB000i507 मे अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सवधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।

5. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 514(14)

पटना, दिनांक 24/2/2023

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176837 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि—लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

An

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

महावीर आरोग्य संस्थान,

नीयर चिरैयाटाड ओवर ब्रिज,

अपोजीट पेट्रोल पम्प,

ककडबाग, पटना- 80020

पटना, दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 19.02.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	राधिका देवी पति- राज कुमार गिरी ग्राम- जैतपुर तिवारी टोला पो०- जैतपुर थाना- दाउदपुर जिला- सारण रजि न०- 2425/37735	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
2	लालमुनि पति- स्व० मनोज भारती ग्राम- जैतपुर तिवारी टोला पो०- जैतपुर थाना- दाउदपुर जिला- सारण रजि न०- 2425/47923	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
3	सुरेन्द्र प्रसाद पिता- राजेन्द्र प्रसाद ग्राम+पो०- गगापुर थाना- हुलासगज जिला- जहानाबाद रजि न०- 2425/48970	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
4	निर्मल सिंह पिता- परवाना सिंह ग्राम- भेडिया पो०- धमर थाना- मुफ्फसिल जिला- भोजपुर रजि न०- 2425/49091	हृदय रोग एमभीआर	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।

5	उपेन्द्र कुमार पिता- स्व० रामेश्वर प्रसाद ग्राम+पो०+थाना- तेल्हारा जिला- नालदा रजि न०- 2425 / 49019	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
6	प्रिंस कुमार पिता-प्रदुमन कुमार ग्राम-भैरोपुर ऐमा पोस्ट+थाना-डोरीगंज जिला-सारण रजि न०- 2425 / 46225	हृदय रोग Complicated	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			7,55,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 7,55,000/- (सात लाख पचपन हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता संख्या- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196837 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०-1843085503 खाता धारक का नाम-निदेशक "महावीर आरोग्य संस्थान, नीयर चिरैयाटांड ओवर ब्रिज, कंकड़बाग पटना 20 " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम- सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, चिरैयाटांड, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० CBIN 0282213 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 515(14)

पटना, दिनांक 24/2/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196837 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

24/2

स० सं० 14/एम 11-1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि०,

कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक. . . .

विषय- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 19.02.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	पवन झा पिता- नित्यानंद झा ग्राम- शिवपुर टिकिया टोला शिव मंदिर गंगा घाट पो०- महेन्द्रू थाना- पीरबहोर जिला- पटना	हृदय रोग सीएबीजी	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत।
2	सियामणी देवी पति-शिवचन्द्र कुमार ग्राम-खेदालपुर वार्ड 03 पो०+थाना-बिहटा जिला-पटना	हृदय रोग डी० भी० आर	1,90,000	एक लाख नब्बे हजार स्वीकृत।
			3,70,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,70,000/- (तीन लाख सत्तर हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके स्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालू खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 176837... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 165902000000041 खाता धारक का नाम-"निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि० कंकड़बाग, पटना" खाते का प्रकार- चालू बैंक का नाम-इन्डियन ओवरसीज बैंक, शाखा का नाम-कंकड़बाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड सं० IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसूली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।



4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 516 (14)

पटना, दिनांक 24/2/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196837 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि—लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

1-11 Ver
Aa

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
फुलवारीशरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक. . . .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 19.02.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	शहरूमा बेगम पति- मो० कमरूल होदा ग्राम- सहरसा बस्ती पो०+थाना+जिला- सहरसा	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	निल कमल रानी पति- हिमाशु राज ग्राम- माधोपुर रौशन भिसा पो०- आमघटा थाना- डुमरा जिला- सीतामढ़ी	Hepaticojejunostomy	60,000	साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	मान्ती देवी पति- सुरेद्र यादव ग्राम+पो०- घोरहट थाना- मठिया जिला- सारण	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	राधा कुमारी पिता- निवास कुमार दास ग्राम- अम्बा गोयरा सहरोय पो०- छत्रहार थाना- शभूगज जिला- बाका	हृदय रोग Major Vascular Surgery	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत।
5	ब्रज किशोर ठाकुर पिता- अजनी कुमार ठाकुर ग्राम- मथुरापुर पो०- सिंहो थाना- सकरा जिला- मुजफ्फरपुर	Decortication surgery	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

Aa

6	सजीव कुमार पिता- भोजेन्द्र राय ग्राम- दौलतपुर देवरिया पो0- शुभई थाना- हाजीपुर जिला- वैशाली	ड्रामा	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
7	रामरती देवी पति- किशोर साव ग्राम- धबोखर पो0- लय थाना- कजरा जिला- लखीसराय	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
8	रूपाली देवी पति- दिलीप पंडित ग्राम- ममरखा भैया टोला पो0- ममरख थाना- मलाही जिला- पूर्वी चम्पारण	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
9	वशिष्ठ महतो पिता- असफ़ी महतो ग्राम+पो0+थाना- सीगा जिला- सीतामढी	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
10	मुमताज बेगम पति- मो0 हाशिम ग्राम+पो0- सिटानाबाद थाना- सिमरीबख्तियारपुर जिला- सहरसा	कैसर रोग	30,000	तीस हजार स्वीकृत।
11	प्रलाद गुप्ता पिता- देवनारायण गुप्ता ग्राम- टवा पो0- सिंहपुर थाना- गम्हरिया जिला- मधेपुरा	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
12	रुदल यादव पिता- स्व0 जगली यादव ग्राम- बथुवरिया पो0- चन्द्रहा थाना- बथवरिया जिला- पश्चिम चम्पारण	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
13	अनुज कुमार पिता- अजीत कुमार ग्राम- दरियापुर पो0- प्रसडीहा थाना- चंडी जिला- नालदा	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
14	सबिता देवी पति- राकेश ठाकुर ग्राम- बिशनपुर वार्ड 02 पो0- बिशनपुर थाना- कटरा जिला- मुजफ्फरपुर	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।

15	राजु कुमार पिता- राजेश कुमार ग्राम- दयाली विगहा वार्ड 14 पो0- मोदनगज थाना- घोषी जिला- जहानाबाद	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
16	मौसम कुमारी पति- निशात कुमार ग्राम- घोसवर पो0- रजौली थाना- हाजीपुर जिला- वैशाली	गुर्दा प्रत्यारोपण	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
17	मीणा देवी पति- विदेश्वर राम ग्राम+पो0- भखरी थाना- धनरुआ जिला- पटना	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
18	बबलू सिंह पति- राम चंदर सिंह ग्राम- आधारपुर वार्ड 04 पो0- नयानगर थाना- तेघडा जिला- बेगूसराय	Ankylosing Spondylitis	25,000	पच्चीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
19	आनंद कुमार पिता- गोपाल ठाकुर ग्राम- रसूलपुर पो0- बिशुनदत्तपुर थाना- करजा जिला- मुजफ्फरपुर	B/L Foot drop	45,000	पैंतालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
20	नीलम देवी पति- सुधीर कुमार झा ग्राम- करामा पो0- भागीपुर थाना- पुरैनी जिला- मधेपुरा	Elbow amputation	40,000	चालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
21	अजनी कुमारी पिता- सुधीर कुमार यादव ग्राम- ब्रम्हा पो0- बलहा बाजार थाना- चौथम जिला- खगडिया	ट्रामा	65,000	पैंसठ हजार स्वीकृत।
22	नुरजहाँ पति- तैयब असारी ग्राम+पो0- बैरो थाना- सुपौल जिला- सुपौल	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
23	अनिता कुमारी पति- पकज कुमार ग्राम- रामगज वार्ड 14 पो0- ससारपुर थाना- मुफ्फसिल जिला- खगडिया	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।

24	जिज्ञाषा रानी पिता- ब्रजेश कुमार ग्राम- कोयला वार्ड 02 पो0- पीपरपाती थाना- पसरहा जिला- खगडिया	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
25	श्यामा देवी पति- श्रवण दास ग्राम- बरकुरवा वार्ड 09 पो0- मुक्तापुर थाना- कलयाणपुर जिला- समस्तीपुर	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
26	निर्मला देवी पति- आनदी साह ग्राम+पो0- पडरिया थाना- बाका जिला- बाका	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
27	सुधीर कुमार पिता- रामाशिष यादव ग्राम- मजाडी वार्ड 02 पो0- खलुसी थाना- कोच जिला- गया	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
28	मिटू बैठा पिता- स्व0 मंगल बैठा ग्राम- सुल्तानगंज पो0- फुलवरिया थाना- मकेर जिला- सारण	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
29	राम ईश्वर प्रसाद पिता- राम देव प्रसाद ग्राम- अदलचक पो0+थाना- मसौढी जिला- पटना	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
30	राकेश कुमार सिंह पिता- अभय सिंह ग्राम+पो0- गोपुर थाना- गरखा जिला- सारण	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
31	मो0 अली मुल्लाह पिता- अब्दुल हमीद ग्राम- फुलवरिया वार्ड 06 पो0- फुलवरिया थाना- मकेर जिला- सारण	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
32	तुलसी राम पिता- भोला राम ग्राम- पिपरा पो0- नरौन थाना- शभुगज जिला- बाका	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।

33	पूनम देवी पति- कृष्णा साव ग्राम- बाहरी बेगमपुर सीधे बाजार बनोधिया टोला पो0- बेगमपुर थाना- बाईपास जिला- पटना	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
34	रामसखी देवी पति- मिश्रीलाल महासेठ ग्राम- लक्ष्मीपुर पो0- भुतही थाना- सोनबरसा जिला- सीतामढी	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
35	रेनू देवी पति- दलमोड राम ग्राम- घटकन वार्ड 04 पो0- धनगावा थाना- काको जिला- जहानाबाद	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
36	आयुष कुमार पिता- करण साह ग्राम- अफौर वार्ड 10 पो0- अफौर थाना- खैरा जिला- सारण	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
37	प्रियका कुमारी पिता- विजय कुमार ग्राम+पो0- रामपुर थाना- मखदुमपुर जिला- जहानाबाद	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
38	सुरेद्र ठाकुर पिता- बालेश्वर ठाकुर ग्राम+पो0- करनौती थाना- महनार जिला- वैशाली	हीप रिप्लेशमेट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
39	मुन्ना कुमार पिता- बन्नी लाल राम ग्राम- नगवा पो0- अरविद नगर थाना- दरियापुर जिला- सारण	ड्रामा	45,000	पैंतालीस हजार स्वीकृत।
40	राजेश साव पिता- सुरेश साव ग्राम- छोटी पैठना पो0- बडी पैठना थाना- इस्लामपुर जिला- नालदा	हीप रिप्लेशमेट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
41	मो0 आजम पिता- मो0 आजाद ग्राम- छोटी मलिया वार्ड 27 पो0- बडी मलिया थाना- गोगरी जिला- खगडिया	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

42	आर्य कुमार वर्मा पिता- चद्रमणि सिंह ग्राम- तेल्हारा पो0+थाना- अम्बा जिला- औरंगाबाद	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
43	रौशन कुमार पिता- विद्या भूषण प्रसाद ग्राम- पादरी की हवेली बिजली ऑफिस बडी टोला पो0- झाउगज थाना- खाजेकला जिला- पटना	ब्रेज सर्जरी	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
44	मीना देवी पति- स्व0 जगजीवन मिस्त्री ग्राम- बोचाचक पो0- फुलवारी शरीफ थाना- फुलवारी जिला- पटना	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
45	अभिराज कुमार साहू पिता- गणेश साहू ग्राम+पो0- लदहो थाना- बिरौल जिला- दरभंगा	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
46	निशा झा पति- दीपक झा ग्राम- कछुआ वार्ड 09 पो0- चकौती थाना- जाले जिला- दरभंगा	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
47	सीमा देवी पति- जीतेन्द्र सिंह ग्राम+पो0- फखरपुर थाना- अरवल जिला- अरवल	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
48	नित्या सिंह पिता- रामप्रकाश सिंह ग्राम- भादा खुर्द पो0- सिरिसिया थाना- जामो बाजार जिला- सिवान	ट्यूमर	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
49	राकेश कुमार रौशन पिता- विद्यानन्द सिंह ग्राम- कनसरा पो0- कोचहासा थाना- किजर जिला- अरवल	ब्रेन ट्यूमर सर्जरी	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
50	रूवी देवी पति- राजीव पाठक ग्राम- हरपुर ऐलोच वार्ड 44 पो0- हरपुर ऐलोथ थाना- मुसरीधरारी जिला- समस्तीपुर	कैसर रोग	80,000	अरसी हजार स्वीकृत।

51	शकुतला देवी पति— श्यामनन्द सिंह ग्राम— दिबराधनी वार्ड 02 पो0— दिबरा बाजार थाना— बी कोठी जिला— पूर्णियाँ	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
52	लालबाबू राय पिता— विदया राय ग्राम— बाकेरवा गावाल वार्ड 13 पो0— परसौना थाना— परसा जिला— सारण	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
53	ममता देवी पति— कमलेश कुमार ग्राम+पो0— चकदीन थाना— अरथवा जिला— नालदा	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
54	शिवकुमारी देवी पति— बिदेश्वरी सिंह ग्राम— सैदपुरधावा पो0+थाना— अरवल जिला— अरवल	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
55	रीना देवी पति— बटेश्वर यादव ग्राम+पो0— मोहीउद्दीनपुर थाना— जगदीशपुर जिला— भागलपुर	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
56	अल्फा कुमारी पिता— श्रीकांत पासवान ग्राम— दोस्त मुहम्मदपुर पो0+थाना— फतुहा जिला— पटना	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
57	उमेश कुमार पिता— स्व0 धनेश्वर प्रसाद सिंह ग्राम— काढे कुढा पो0— मौरी थाना— खिरिमोर जिला— पटना	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
58	जय शंकर सिंह पिता— स्व0 शिव पूजन सिंह ग्राम+पो0— लखनपार थाना— पुनपुन जिला— पटना	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
59	सुनील कुमार पिता— महेश्वर मिश्रा ग्राम+पो0— शिवदाहा बरैल वार्ड 09 थाना— गायघाट जिला— मुजफ्फरपुर	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

60	कुमकुम देवी पति— राजकुमार ठाकुर ग्राम— शिवपुर वार्ड 05 पो0— शिवपुर थाना— बिक्रमगज जिला— रोहतास	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
61	सरस्वती देवी पति— सत्यनारायण साह ग्राम+पो0— टलवा पोखर थाना— कोटवा जिला— पूर्वी चम्पारण	कैसर रोग	45,000	पैंतालीस हजार स्वीकृत।
62	प्रमिला देवी पति— निर्धन साह ग्राम— चतरा पो0— मानसी थाना— मुफ्फसिल जिला— खगडिया	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
63	स्नेहलता पिता— सूरज प्रसाद ग्राम— कुजैला पो0— ओहारी थाना— रोह जिला— नवादा	कैसर रोग	30,000	तीस हजार स्वीकृत।
64	हेमन्त कुमार पिता— महादेव प्रसाद ग्राम— बोचहा वार्ड 12 पो0— बोचहा थाना— बोचहा जिला— मुजफ्फरपुर	कैसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
65	रॉकी कुमार पिता— नरेश प्रसाद ग्राम— चुरामन बीघा पो0— भागन बीघा थाना— वेना जिला— नालदा	द्रामा	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
66	सतीश पंडित पिता— सुरेश पंडित ग्राम+पो0— जलालपुर थाना— शाहपुर पटोरी जिला— समस्तीपुर	द्रामा	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
67	रजन कुमार पिता— कन्हारै राय ग्राम— नाथा छपरा पो0— पोझी थाना— दरियापुर जिला— सारण	द्रामा	90,000	नब्बे हजार स्वीकृत।
68	अमित कुमार पिता— स्व0 कचन भगत ग्राम— पिडरा पो0+थाना— सहाजितपुर जिला— सारण	द्रामा	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।

69	गुडिया देवी पति- अनिल कुमार प्रसाद ग्राम- बनवार पो0- सोनिया थाना- दाउदपुर जिला- सारण	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
70	पुष्पा कुमारी पिता- अरुण बहारदार ग्राम- बनमखी वार्ड 04 पो0+थाना- बनमखी जिला- पूर्णियाँ	ब्रेन ट्यूमर सर्जरी	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
71	मधु देवी पति- अभय सिंह ग्राम+पो0- वलीदाद थाना- मेहन्दिया जिला- अरवल	Endovascular Coiling	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
72	अमित कुमार पिता- सुरेश मिश्रा ग्राम- टेकवारा पो0- विशुनपुर थाना- कटरा जिला- मुजफ्फरपुर	हृदय रोग A/CD Single Chamber	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
73	विरेन्द्र साह पिता- राम खियाली गॉड ग्राम- हरिहरपुर पो0+थाना- विजयीपुर जिला- गोपालगज	किडनी दवा	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
74	वर्षा रानी पिता- सजय सिंह ग्राम+पो0- तेतरिगढिया थाना- बाका जिला- बाका	किडनी दवा	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
75	अन्वेल कुमारी पिता- श्रीकांत राय ग्राम- लगुराओ पो0- डुमरी थाना- महुआ जिला- वैशाली	प्लास्टिक सर्जरी	25,000	पच्चीस हजार स्वीकृत।
76	प्रीति कुमारी पिता- राधाकृष्ण साहू ग्राम- अचलपुर पो0- बदरबाना थाना-बहेडा जिला- दरभंगा	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
77	बबिता कुमारी पति- अभय कुमार ग्राम- चकगगाधर पो0- भौरोपुर थाना- बिदुपुर जिला- वैशाली	हृदय रोग एमवीआर	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।

78	देवन्ती देवी पति— योगेद्र केवट ग्राम— धनुपरा पो0— आरा थाना— टाउन जिला— भोजपुर	नी रिप्लेशमेट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
79	ज्ञानी साहू पिता— रोदी साहू ग्राम— पिरहौली पो0+थाना— अलीनगर जिला— दरभंगा	नी रिप्लेशमेट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
80	भीम साव पिता— स्व0 ईश्वर साव ग्राम+पो0+थाना— सरबहदा जिला— गया	नी रिप्लेशमेट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
81	ममता कुमारी पिता— जयनदन भगत ग्राम— आलमपुर पो0+थाना— आजमनगर जिला— कटिहार	नी रिप्लेशमेट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
82	गणेश साह पिता—अमीन साह ग्राम+पो0+थाना— गोरेयाकोठी जिला— सिवान	नी रिप्लेशमेट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
83	कन्हैया शाह पिता— ललन साह ग्राम— सिमरी हलबापट्टी पो0+थाना— सिमरी जिला— बक्सर	हीप रिप्लेशमेट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
84	जमीला खातून पति— मो0 तैयब असारी ग्राम+पो0— बहदीनपुर थाना— पारु जिला— मुजफ्फरपुर	हीप रिप्लेशमेट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
85	शैलेन्द्र प्रसाद पिता— भगवान दास ग्राम— कौडा पो0— चोरदरगाह थाना— अरियारी जिला— शेखपुरा	हीप रिप्लेशमेट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
86	दिव्याशी मौर्या पिता— निक्की कुमार ग्राम— नसरतपुर वार्ड 28 पो0— माउर थाना— बरबीघा जिला— शेखपुरा	कोकलियर इम्प्लाट	4,50,000	चार लाख पचास हाजर स्वीकृत।
87	प्रिस कुमार पासवान पिता— प्रकाश पासवान ग्राम— कल्याणपुर पो0— मोहनपुर थाना— सिमुलतला जिला— जमुई	कोकलियर इम्प्लाट	4,50,000	चार लाख पचास हाजर स्वीकृत।

88	रमेश कुमार पिता-गोरख ठाकुर ग्राम+पो0-खरिका थाना-पहलेजा ओ0पी0 जिला-सारण	किडनी रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
89	राज कुमार पिता-श्रीराम सिंह ग्राम-सिसौनी पो0-सूतिहार थाना-डेरनी जिल-सारण	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			68,20,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 68,20,000/- (अड़सठ लाख बीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196837 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 579310110008985 खाता धारक का नाम-Patient Care Fund 'एम्स, पटना' खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम -एम्स, पटना, फुलवारीशरीफ, पटना, बिहार, 801507 RTGS/IFSC कोड सं0 BKID 0005793 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
- स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

517(14)

पटना, दिनांक

24/7/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 196837 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई0 टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0स0-14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,

राजेश्वर अस्पताल,

नीयर बहादुरपुर फलाई ओवर,

ककडबाग, पटना-800020

पटना, दिनांक.

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 19.02.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	ममता देवी पति- दिलीप कुमार रजक ग्राम- मनसकामना नाथ मंदिर रोड नाथनगर पो0+थाना- नाथनगर जिला- भागलपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	विनोद कुमार पिता- प्रभुनाथ राय ग्राम- खोरीपकर पो0- बसत थाना- गरखा जिला- सारण	हृदय रोग स्टेन्ट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	सुकेश राय पिता- दर्शन राय ग्राम+पो0- हेत्तनपुर थाना- शाहपुर पटोरी जिला- समस्तीपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			₹ 2,60,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,60,000/- (दो लाख साठ हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालू खाता सं० 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196837 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 1499002109000623 खाता धारक का नाम- "राजेश्वर अस्पताल" खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- पंजाब नेशनल बैंक, शाखा का नाम कंकडबाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० PUNBO 149900 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझे।

विश्वासभाजन

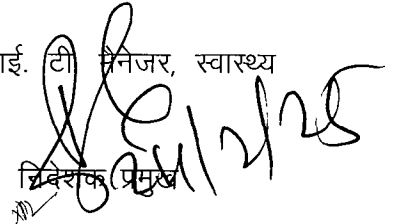
ह०/-
(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 578(14)

पटना, दिनांक 24/2/2023

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 186837 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
पारस एच०एम०आर आई० अस्पताल,
राजाबाजार,
पटना- 800014

पटना, दिनांक.

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 19.02.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सरस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	इरा सिन्हा पति- शशि कांत मणि ग्राम- नावार्ड गली पुनाईचक पो०+थाना- शास्त्रीनगर जिला- पटना यूएचआईडी नं०- 3000531140	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	सुनीता देवी पति- नवल किशोर प्रसाद ग्राम- बलवापर पो०- कावा थाना- हिलसा जिला- नालंदा यूएचआईडी नं०- 3000548617	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
3	सिमरन राज पिता- सजय कुमार ग्राम- कसवा पो०- मझौली, थाना- सालीमपुर जिला- पटना रजि न०- 3000563239	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
4	विकास कुमार पिता-सजय राउत ग्राम-ब्रह्मपुरा करमन पो०+थाना-मोतीपुर जिला मुजफ्फरपुर रजिन०-3000564916	ड्रामा	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
5	दिलिप कुमार पिता-देव शरण प्रसाद राय ग्राम-हरना, पो०'-मस्तिचक थाना-दरियापुर जिला सारण रजिन०-3000562500	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

An

6	बबलु प्रसाद यादव पिता-रघु लाल यादव ग्राम-ज्ञानदोभ, पो0-थाना-अमौर जिला-पूर्णिया रजिन0-3000532636	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			3,90,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,90,000/- (तीन लाख नब्बे हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालू खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196837 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 16498260000011 खाता धारक का नाम-पारस एचएमआरआई अस्पताल, ए यूनिट आफ पारस एचपी0एल0, खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम-एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0, शाखा का नाम-AMBITION SAPPHIRE BESIDES RELIANCE TRENDS RAJA BAZAR BAILEY ROAD PATNA BIHAR-800014, RTGS/IFSC कोड सं0- HDFC0001649 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
- मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
- पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस करें।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 519(14)

पटना, दिनांक 24/2/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 196837 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सो 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
CISRO Hospital,
सगुना मोड, दानापुर,
पटना 801503

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 19.02.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रुकमणी देवी पति- हरिहर राय ग्राम- शिवरतन राय चिल्ड्रेन पार्क सगुना पो०- दानापुर कैट थाना- दानापुर जिला- पटना	ट्रामा / प्लास्टिक सर्जरी	45,000	पैंतालीस हजार स्वीकृत।
2	जय कुमार प्रसाद पिता-राज कुमार यादव ग्राम-सोनसा पो०-नीमथु थाना-नीमचक बथानी जिला-गया	स्पाइन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	राम प्रसाद मुखिया पिता-सातहु मुखिया ग्राम-कोल्हटा पो०-जाखड थाना-रोसडा जिला-समस्तीपुर	स्पाइन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	राम बिलास सिंह पिता- बैद्यनाथ सिंह ग्राम- रामचंद्रपुर अंधैल पो०- पतौली थाना- उजियारपुर जिला- समस्तीपुर	नी रिप्लेशमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।

5	अर्जुन पासवान पिता- बुधन पासवान ग्राम+पो0+थाना- राजापाकर जिला- वैशाली	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
6	शांति देवी पति- स्व0 शिवानाथ ठाकुर ग्राम- सोनपुर मीणा बाजार पो0+थाना- सोनपुर जिला- सारण	हीप रिप्लेशमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
			4,45,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,45,000/- (चार लाख पैतालीस हजार) रु0 के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196837... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-39196290026 खाता धारक का नाम-KUMAR AND SARRAF HEALTH CARE PRIVATE LTD खाते का प्रकार- बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम-एस0बी0आई0 ग्राउंड फ्लौर ओजन प्लाजा नीयर आर0पीएस0 मोड बेली रोड, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0011675 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 520(14)

पटना, दिनांक 24/2/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलगन चेक सं0 196837 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।
प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
सर्जाफ आर्थो स्पाईन एंड मेटरनीटी
सेंटर नीयर डी०एम०सी०एच० लहेरिया सराय
दरभंगा-846003

पटना, दिनांक.

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 19.02.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सार्त निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अशोक यादव पिता- विशेश्वर यादव ग्राम- गज रघौली पो०- माधोपट्टी थाना- कमतोल जिला- दरभंगा	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	सत्यम कुमार यादव पिता-राम दर्शन यादव ग्राम-गोढीयारी पो०-रामपट्टी थाना-राज नगर जिला-मधुबनी	हिप रिप्लेसमेंट	75,000	पचहतर हजार स्वीकृत।
3	नथुनी प्रसाद पिता-अच्छे लाल साहु ग्राम-महीनाम बाजार पो०-थाना-बहेडा जिला दरभंगा	ड्रामा	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			₹ 2,35,000/-	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,35,000/- (दो लाख पैंतीस हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196837 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-38022630797 खाता धारक का नाम-सर्जाफ आर्थो स्पाईन एंड मेटरनीटी सेंटर खाते का प्रकार- बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम-डी०एम०सी० कैम्पस दरभंगा, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0003025 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अंदर विभाग को वापस करें।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

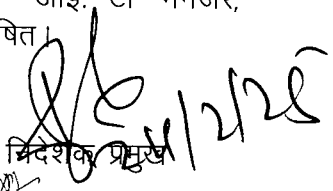
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 521 (14)

पटना, दिनांक 24/11/2023

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196837 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं0सं0-14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
रुबन मेमोरियल अस्पताल,
19 पाटलीपुत्रा कालोनी,
नियर पाटलीपुत्रा गोलम्बर,
पटना-800013

पटना, दिनांक.....

विषय.- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 19.02.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	राज कुमार पिता- विश्वनाथ महतो ग्राम- चोन्दी पो0+थाना- बाढ जिला- पटना	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2				
			1,00,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹, 1,00,000/- (एक लाख) रु0 के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालू खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0/96837 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-32881734032 खाता धारक का नाम Ruban Patliputra Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- State Bank of India शाखा का नाम -एस0एम0ई0 ब्राच, डाकबगला रोड, पटना-800001 RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0001513 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा। प्राक्कलन CGHS के दर पर ही निर्गत करें।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/-
(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 522(14)

पटना, दिनांक 24/2/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलक सं० 196837 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
24/2/25

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक/अधीक्षक,
फोर्ड अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर (प्रा०) लि०,
रामकृष्णा नगर, पटना- 800027

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 19.02.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	नगीना देवी पति- ब्रज नदन झा ग्राम- नूनौरा पो०- डुमरा थाना- महिन्दवारा जिला- सीतामढी	हीप रिप्लेसमेंट	1,70,000	एक लाख सतर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	मो० मुमताज पिता- मनु मियां ग्राम- दीदारगज चेक पोस्ट पो०- कटरा बाजार समिति थाना- दीदारगज जिला- पटना	हृदय रोग सीएबीजी	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
3	आकाशदीप बरनवाल पिता- सुधीर प्रसाद ग्राम- एस के एम सी एच के पास रसूलपुर पो०- भीखनपुर थाना- अहियापुर जिला- मुजफ्फरपुर	स्पाइन सर्जरी	1,60,000	एक लाख साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			4,15,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि रु० 4,15,000/- (चार लाख पन्द्रह हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 196827 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 31792937290, खाता धारक का नाम- फोर्ड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रा० लिमिटेड, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम-हनुमान नगर पटना, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0009005 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माँग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नही किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
7. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस करें।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 523(14)

पटना, दिनांक 24/01/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176837 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक,

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
आस्था लोक हॉस्पिटल,
प्रोफेसर कालोनी, नीयर केन्द्रीय विद्यालय,
ककडबाग, पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 19.02.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है—

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	इनर देवी पति— हरी नारायण साहू ग्राम+पो0— फिंगलश थाना— राघोपुर जिला— सुपौल	हीप रिप्लेसमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
2	परमानन्द देवी पति— नवलकिशोर ग्राम— पेदापुर पो0— कावा थाना— हिलसा जिला— नालदा	नी रिप्लेसमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
3	अवीनीश कुमार पिता—संजीत राय ग्राम—अमदीपुर पो0—धरनीपट्टी थाना—साहपुर पटोरी जिला—समस्तीपुर	ड्रामा	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			2,10,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ **2,10,000/-** (दो लाख दस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालू खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196537 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 50200006844472 खाता धारक का नाम—“आस्था लोक अस्पताल एड रिसर्च सेटर प्रा0 लि0” खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम—

(Signature)

एच0 डी0 एफ0 सी0 बैंक, शाखा का नाम पत्रकार नगर, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 HDFC0000407 मे अतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ करे। अनावश्यक रोगियो को परेशान नही किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझे।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 524(14)

पटना, दिनांक 24/2/2023

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0. 196837 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
श्री साईं हौस्पिटल
(हार्ट युनिट) ई०-143
साउथ मलाही पकड़ी चौक
कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 19.02.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	बेदामी देवी पति- जय नारायण प्रसाद ग्राम+पो०- धनहर दिहुली थाना- रामगढ़वा जिला- पूर्वी चम्पारण	हृदय रोग पेसमेकर	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
			85,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 85,000/- (पचासी हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 176837 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०-50200037828274 खाता धारक का नाम-“अखिलेश कुमार सिंह हौस्पिटल प्रा० लि०” खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- एच०डी०एफ०सी० पत्रकार नगर, कंकड़बाग शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड सं० HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

- 5 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
- 6 पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस करें।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 525 (14)

पटना, दिनांक 24/2/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 196837 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
श्री साई अस्पताल कंकड़बाग
वेस्ट आफ राजेन्द्र नगर ओवर ब्रीज
कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक.

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 19.02.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	तिलक कुमार पिता— अरुण कुमार मिश्रा ग्राम— बैजनाथ बैठक गली न0 01 पो0— चोंद चौरा थाना— विष्णुपद जिला— गया	पीसीएनएल	30,000	तीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	उज्जवल कुमार पिता— हेमंत कुमार सिंह ग्राम+पो0— अलावलपुर थाना— गौरीचक जिला— पटना	B/L Hydrocele	15,000	पन्द्रह हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	योगेंद्र प्रसाद पिता— स्व० भोला प्रसाद ग्राम— मुशल्लहपुर हाट पो0— महेन्द्र थाना— कदमकुआ जिला— पटना	Haemorrhoids	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			1,20,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 186837 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0 440720110000219 खाता धारक का नाम—“अखिलेश कुमार सिंह हौस्पिटल प्रा० लि०” खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम आर० एन० कालोनी ब्रांच पटना-16, RTGS/IFSC कोड सं0 BKID0004407 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ करे। अनावश्यक रोगियो को परेशान नही किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 526 (14)

पटना, दिनांक 24/2/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 196837... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 सं0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
सवेरा कैंसर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल,
जीसी 5/जीसी 6,
डा० आरएन सिंह रोड, लौहिया नगर,
कंकड़बाग पटना-20

पटना, दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 19.02.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अमित रजन पिता- अशोक कुमार ग्राम- बलाई कैपस छाता चौक पो०- मुजफ्फरपुर थाना- मुशही जिला- मुजफ्फरपुर	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
2	टसुलन खातून पति- सलाउद्दीन हावरी ग्राम- छितौली पो०- परशुरामपुर थाना- मांझागढ़ जिला- गोपालगंज	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	प्रणव श्री पिता- शैलेन्द्र कुमार ग्राम- भिखना पहाड़ी पो०- बाकीपुर थाना- कदमकुआं जिला- पटना	कैंसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
			1,70,000	

2

उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,70,000/- (एक लाख सत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं0 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 176837 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-440720110000498 खाता धारक का नाम-Savera Cancer & Multispeciality Hospital खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- बैंक आफ



इंडिया, शाखा का नाम— राजेन्द्र नगर कोलनी, पटना RTGS/IFSC कोड स0 BKID0004407 मे अंतरा किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नही किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

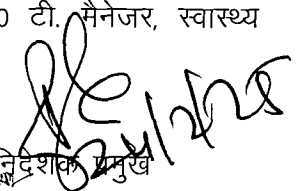
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 527(14)

पटना, दिनांक 24/2/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 196837 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई0 टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-01 /2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
बुद्धा कैंसर सेंटर,
नहर रोड, लेफ्ट 2 नहर चौक,
रूपसपुर, बेली रोड
पटना-801503

पटना, दिनांक....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 19.02.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम/ पता निबंधन संख्या	रोग	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	राजीव रंजन अग्रवाल पिता- कैलाश प्रसाद अग्रवाल ग्राम- नई कॉलोनी गोंधी चौक वार्ड 36 पो०- छपरा थाना- नगर जिला- सारण	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			80,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 80,000/- (अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालू खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196537.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-36930644306 खाता धारक का नाम-"बुद्धा कैंसर सेंटर प्रा० लि०" खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम- RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0017469 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

An

5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस करें।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझे ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

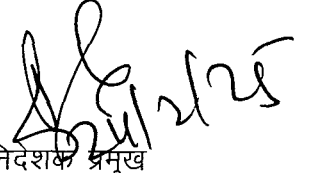
निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 528(14)

पटना, दिनांक 24/2/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196837 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं० स०- 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

एस.एस. अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर

मलाही पकड़ी, कंकड़बाग, पटना 20

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 19.02.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	गुडिया देवी पति- कमलेश चौधरी ग्राम+पो०- महदह थाना- मुफ्फसिल जिला- बक्सर	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
2	सजय साह पिता- रामभवन साह ग्राम- नया टोला हसनपुर पो०- हसनपुर गुर्दा थाना- महनार जिला- वैशाली	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			1,20,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,20,000/-(एक लाख बीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालू खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 176837 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 5020 418 8262 खाता धारक का नाम-एस०एस० हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर" खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- इंडियन बैंक, शाखा का नाम- हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० IDIB000H531 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की

dh

राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

- 5 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
- 6 स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 529(14)

पटना, दिनांक 24/2/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 196837 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
बीग अपोलो स्पेक्टा अस्पताल
शीतला मंदिर रोड नीयर सप हाउस
अगमकुआ पटना 800007

पटना, दिनांक.....

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक— 19.02.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	गंगा प्रसाद यादव पिता—राम प्रसाद यादव ग्राम—पहाडपुर पो०—भददी थाना पतरघट जिला सहरसा	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			80,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 80,000/- (अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालू खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196837 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०-1714354694 खाता धारक का नाम—“BIG Apollo Spectra Hospital खाते का प्रकार—चालू बैंक का नाम— कोटक महिन्द्रा बैंक, (गांधी मैदान पटना) शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड सं०— KKBK0000351 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय ।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी ।
इसे अत्यावश्यक समझे ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

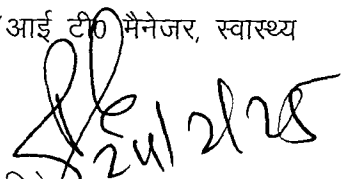
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 530(14)

पटना, दिनांक 24/2/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 186837 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय ।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।


निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
होमी भाभा कैंसर अस्पताल,
एड रिसर्च सेटर एस०के०एम० सी० एच कैंपस,
उमा नगर मुजफ्फरपुर-842004

पटना, दिनांक

विषय — मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के सबध में।

महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 19.02.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	हुस्न आरा पति— मो० अफसार ग्राम— चम्बेलीचक पो०+थाना— हबीबपुर जिला— भागलपुर केस फाईल न०— 11एफ2024/015523	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	बासमती देवी पिता— लालधारी राय ग्राम— बारमातपुर खबरा उर्फ किरतपुर गुरदास पो०— खबरा थाना— सदर जिला— मुजफ्फरपुर केस फाईल न०— 19एफ2024/004977	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	राधा देवी पति— मिथिलेश कुमार दास ग्राम— गरुआरा पो०— सिधिया खुर्द थाना— मुफ्फसिल जिला— समस्तीपुर केस फाईल न०— 19एफ2024/006523	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	राज कुमार महतो पिता— पल्लन महतो ग्राम+पो०+थाना— नावकोठी जिला— बेगूसराय केस फाईल न०— सीयू/32794	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	अर्जुन साह पिता- स्व० सोनेलाल साह ग्राम- भौआडा मोर्चा टोला वार्ड 41 पो०- भौआडा थाना- टाउन जिला- मधुबनी केस फाईल न०- 19एफ2024 / 005760	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
6	मृदुला सिन्हा पति- अखिलेश प्रसाद सिंह ग्राम- चक्कर चादमारी पो०- प्रधान थाना- काजी मोहम्मदपुर जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न०- 19एफ2024 / 000136	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
7	साह मोहम्मद पिता- पचू मिया ग्राम+पो०- कार्नेजी थाना- बेलसर जिला- वैशाली केस फाईल न०- 19एफ2024 / 004677	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
8	मुरारी कुमार पिता- जनार्दन सिंह ग्राम- नेवाजगढ़ पो०+थाना- वारसलीगज जिला- नवादा केस फाईल न०- सीवी/31768	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
9	छोटे लाल प्रसाद स्वर्णकार पिता- घेघी साह ग्राम-कोतवाली चौक पो०-बेतिया थाना-नगर जिला- पश्चिम चम्पारण केसफाईलन०-11एफ2024 / 023996	कैसर रोग	45,000	पैंतालीस हजार स्वीकृत।
10	पारवती देवी पति- श्याम सुन्दर प्रसाद ग्राम- शाहपुर पो०- मकसूदपुर थाना- मीनापुर जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न०- 19एफ2024 / 003879	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			6,65,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 6,65,000/- (छ लाख पैसठ हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 196837 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०-TMC A/C HBCII and RC, Muzaffarpur A/c No- 59126012021000 खाता धारक का नाम-"होमी भाभा कैसर हॉस्पिटल, एड रिसर्च

- सेटर मुजफ्फरपुर", खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0, शाखा का नाम- RIGS/IFSC कोड स0 HDFC 0000084 में अंतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/ उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- 5 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
- 6 स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझे।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

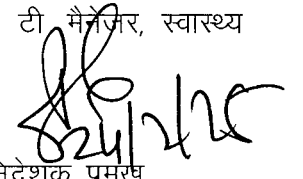
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 531(14)

पटना, दिनांक 24/2/2023

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 196837 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख
18

स0 स0 14/एम 11-1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
एशिया हॉस्पिटल
नीयर धनुकी मोड
अगमकुंआ ब्रिज मेन रोड
कंकडबाग पटना 20

पटना, दिनांक

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक— 19.02.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	कौशिया देवी पति— अरविन्द शर्मा ग्राम— भेरोखडा पो0+थाना— ताजपुर जिला— समस्तीपुर	हीप रिप्लेसमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
2	गणेश साव पिता— रामेश्वर साव ग्राम+पो0— सहदेव काप थाना— मगध युनिवर्सिटी जिला— गया	नी रिप्लेसमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
			₹ 1,50,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) रु0 के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालू खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 196857 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0-50200034447830 खाता धारक का नाम Emedinova Marketing Private Limited खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम— HDFC BANK शाखा का नाम कदमकुआ RTGS/IFSC कोड स0 HDFC-0009296 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा। प्राक्कलन CGHS के दर पर ही निर्गत करे।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

- 5 चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करे। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करे।
- 6 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- **30121380424, IFSC Code- SBIN0006379**, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
- 7 पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस करे।
इसे अत्यावश्यक समझे ।

विश्वासभाजन

ह०/-

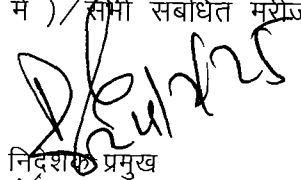
(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 532(14)

पटना, दिनांक 24/2/2023

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलक सं० 196837... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
एशियन सिटी अस्पताल
पी0 एम मॉल, पाटलीपुत्रा
इंडस्ट्रीयल ऐरिया
पटना 800013

पटना, दिनांक .

विषय -- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 19.02.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सार्त निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	दीनानाथ राय पिता- राम एकबाल राय ग्राम+पो0- कुदरबाधा थाना- गरखा जिला- सारण	हृदय रोग पीटीसीए	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			₹ 1,80,000 /-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,80,000 /- (एक लाख अस्सी हजार) रु0 के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालू खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 196837 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0-020384600000324 खाता धारक का नाम BLUE SAPPHIRE HEALTH CARES PVT.LTD. Payable at Patna खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- YES BANK शाखा का नाम यश बैंक लि0, ग्राउंड फ्लोर ए-11/33 अलकार सिनेमा रोड, लाजपत नगर-II नई दिल्ली-110024 RTGS/IFSC कोड स0 YESB0000203 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा। प्राक्कलन CGHS के दर पर ही निर्गत करें।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

- 5 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाग— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
- 6 पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस करे।
इसे अत्यावश्यक समझे ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 533(14)

पटना, दिनांक 24/2/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलक सं० 196837 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

स्टार अस्पताल (ए यूनिट ऑफ मगध नर्सिंग होम)

बिटवीन इस्ट ऑफ आलोक पेट्रोल पम्प एण्ड

वेस्ट ऑफ महिन्द्र शो रूम इन बाईपास फोर लेन,

फतुहा रोड, बडी पहाडी पटना 800007

पटना, दिनांक

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 19.02.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सरीफ लाल राय पिता— शिव नारायण राय ग्राम— गरहौ पो०— बोचहौ थाना— अहियापुर जिला— मुजफ्फरपुर	स्पाइन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 176837 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 4057002100009015 खाता धारक का नाम— Star Hospital A Unit of Of Magadh Nursing Home खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— Punjab National Bank, शाखा का नाम— Punjab National Bank, Transport Nagar Patna RTGS/IFSC कोड सं० PUNB0405700 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

- 5 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
- 6 स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

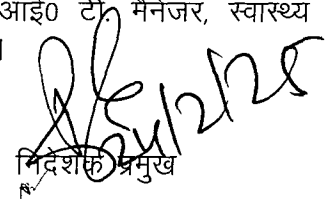
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 534(14)

पटना, दिनांक 24/2/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176837 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई० टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
Pancardia Heart & Multi Super Speciality Hospital
(P) Pvt. G-124, P.C. Colony, Main Road,
Near Domino's Pizza, Kankarbagh,
Patna - 800020

पटना, दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 19.02.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	सुकेश कुमार पिता- स्व० योगेन्द्र सिंह ग्राम- पनसल्ला पो०- भैरवार थाना- मुफसिल जिला- बेगूसराय	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			50,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 50,000/- (पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 196837 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 50200060079860 खाता धारक का नाम- Pancardia Heart and Multi super Speciality Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- HDFC Bank Ltd., शाखा का नाम- , RTGS/IFSC कोड सं० HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि



दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार प्रेषित करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

- 5 चिकित्सा CGHS के दर पर ही जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
- 6 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
7. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छ माह के अन्दर विभाग को वापस करे।
इसे अत्यावश्यक समझे।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 535 (14)

पटना, दिनांक 24/2/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 176837 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
हार्ट अस्पताल प्रा० लिमिटेड (चन्द्रालय)
बी/29 पत्रकार नगर
ककडबाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 19.02.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है:-

क्र० सं०	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मोतीलाल साव पिता-स्व० लालु साव ग्राम-मितचक वार्ड 14 पो०-मितचक थाना-गोपालपुर जिला-पटना	हृदय रोग पी०टी०सी०एस०	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
			1,35,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,35,000/- (एक लाख पैंतीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालू खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196837... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 30002849889 खाता धारक का नाम-"HEART HOSPITAL LTD. कंकडबाग पटना 20" खाते का प्रकार- चालू, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम. RTGS/IFSC कोड सं० SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्योरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/ अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस करें।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार

निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 536(14)

पटना, दिनांक 24/2/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है किन चेक सं० 196837 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त की कड़िका-2 में वर्णित खाताधारक को कजाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

1-5 verified
J

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
शेखर आई कैयर एंड लेजर सेटर
राजीव नगर रोड न०-0,
नाला पर आशियाना
पाटलीपुत्रा मार्ग केसरी नगर
पटना-800024

पटना, दिनांक

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक— 19.02.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	चिता देवी पिता— अमीरक साव ग्राम— खासगज पो०— सोहसराय थाना— शोहसराय जिला— नालदा	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	सिद्धनाथ मोची पिता— राम ईश्वर मोची ग्राम— जमालपुरा पो०— कोरवा थाना— नौबतपुर जिला— पटना	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	गिरिजानंदन प्रसाद पिता— रामचन्द्र प्रसाद ग्राम— जमालपुरा पो०— कोरवा थाना— नौबतपुर जिला— पटना	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	विनोद ठाकुर पिता— नवरंगी ठाकुर ग्राम+पो०— सादिकपुर थाना— मनेर जिला— पटना	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।

5	धर्मवीर कुमार पिता- कमता राय ग्राम- हनुमानगज पो0- चादमारी थाना- शाहपुर जिला- पटना	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
6	कृष्ण मुरारी सिंह पिता- शुभ नारायण सिंह ग्राम- टाटा कॉलोनी माधोपुर पो0+थाना- मनेर जिला- पटना	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
7	सुवैसी देवी पति- सुबास राम ग्राम- जमालपुरा पो0- कोरवा थाना- नौबतपुर जिला- पटना	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
8	लालपतिया देवी पति- पृथ्वीनाथ सिंह ग्राम- रतन टोला पो0+थाना- मनेर जिला- पटना	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
9	रामकली देवी पिता- भट्ट महतो ग्राम+पो0- चिकसौरा थाना- हिलसा जिला- नालदा	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
10	मीणा देवी पति- स्व0 चदेश्वर शर्मा ग्राम+पो0- बेनीबीघा थाना- बिक्रम जिला- पटना	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
11	दयन्ती देवी पति- अखिलेश्वर शर्मा ग्राम- तरहुआ पो0- उबेर थाना- मखदुमपुर जिला- जहानाबाद	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
12	दुलारो देवी पति- सुरेश प्रसाद तत्वा ग्राम- टाटा कॉलोनी माधोपुर पो0+थाना- मनेर जिला- पटना	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
13	लक्ष्मीनिया देवी पति- सोहराई माझी ग्राम+पो0+थाना- नेउरा जिला- पटना	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।

14	नन्द किशोर साव पिता- रघुनाथ साव ग्राम+पो0- धनौत थाना- रूपसपुर जिला- पटना	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
15	कृष्णा सिंह पिता- स्व0 राम शरण प्रसाद ग्राम- इन्द्रपुरी पो0- केशरी नगर थाना- पाटलिपुत्र जिला- पटना	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
16	अरुण कुमार राम पिता- जगलाल राम ग्राम- यमुना पो0- मुसेहरी थाना- मुफसिल जिला- सारण	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
17	सुनील कुमार सिंह पिता- स्व0 बासुदेव सिंह ग्राम- शेखपुरा मिल्की मोहल्ला पो0- बी0 भी0 कॉलेज थाना- एयरपोर्ट जिला- पटना	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
18	राजेन्द्र प्रसाद सिंह पिता- यमुना प्रसाद ग्राम- नकटा दियारा पो0- दीघा थाना- दीघा जिला- पटना	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
19	फुलझरी देवी पति- गौरी शंकर पासवान ग्राम- टाटा कॉलोनी माधोपुर पो0+थाना- मनेर जिला- पटना	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
20	सवारिया देवी पति- श्याम नन्दन राय ग्राम+पो0- सादिकपुर थाना- मनेर जिला- पटना	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
21	अतिया देवी पति- दुर्बली राय ग्राम+पो0- सादिकपुर थाना- मनेर जिला- पटना	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।

22	विमला देवी पति- दीनानाथ राय ग्राम- नकटा दियारा पो0+थाना- दीघा जिला- पटना	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
23	प्रतिमा देवी पति- गिरजा देवी ग्राम- जमलपुरा पो0- कोरावन थाना- नौबतपुर जिला- पटना	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
24	देव रति देवी पति- कामेश्वर राम ग्राम- जमालपुरा पो0- कोरावा थाना- नौबतपुर जिला- पटना	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
25	मिता देवी पति- मगलेश कुमार ग्राम- दिनाचक पो0- कोरवा थाना- नौबतपुर जिला- पटना	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			2,50,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196837 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 291311100000760 खाता धारक का नाम- SHEKHAR EYE CARE AND LASER CENTRE खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- UNION BANK OF INDIA, शाखा का नाम- BAILEY ROAD, RTGS/IFSC कोड सं0- UBIN0829137 में अंतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- 5 चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस करें।

6 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापरा करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापरा किया जाय।

7 स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझे।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

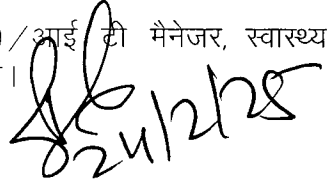
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 537 (14)

पटना, दिनांक 24/1/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196837 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
दृष्टि कुज नेत्रालय, प्रा०लि०,
सगुना मोड, बेली रोड, पटना 801503

दिनांक

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की राशि के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दि. 19.02.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान

19.02.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के नाम के समक्ष अंकित राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	पनवा देवी पति— देव सहाय सिंह ग्राम— हाथी टोला पो०+थाना— मनेर जिला— पटना	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	गिथ्री लाल राय पिता— रूदल सिंह ग्राम— हाथी टोला पो०+थाना— मनेर जिला— पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	ब्रह्मदेव पाठक पिता— श्याम पाठक ग्राम— निलकंठ टोला गोरैया स्थान पो०— ब्यापुर थाना— मनेर जिला— पटना	LE CATARACT	5,000	पाँच हजार स्वीकृत।
4	किरण देवी पति— रविंद्र सिंह ग्राम+पो०— बेल्हौरि थाना— दुल्हिन बाजार जिला— पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
5	आशा देवी पति— राम बाबू सिंह ग्राम— जिवराखन टोला पो०— ब्यापुर थाना— मनेर जिला— पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

6	सुदर्शिया देवी पति- रमेश चरण राय ग्राम- रायगंज टोला गोरैया स्थान पो0- बलिया थाना- मधुबनी जिला- मधुबनी	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
7	कमोदा देवी पति- वि. लाल राम ग्राम- निरंजन टोला गोरैया स्थान पो0- सागुना मुर थाना- मधुबनी जिला- मधुबनी	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
8	आरती देवी पति- रंगेश अडय ग्राम- पो0- मधुबनी- शाहपुर जिला- मधुबनी	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
9	सर्गीता देवी पति- सुभाष राय ग्राम- सगुना खारा कुआ दानापुर पो0- दानापुर कोट थाना- दानापुर जिला- मधुबनी	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			85,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 85,000/- (पचासी हजार) के भुगतान के लिए आपके सरस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424, एम0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 176837 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सरस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 333905000940 खाता धारक का नाम-Drishtikunj Netralaya Pvt. Ltd खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम ICICI बैंक, शाखा का नाम Saguna More, Patna. RTGS/IFSC कोड सं0 ICIC0003339 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/उपनाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिजात/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379,



शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

6. पूर्व की शेष/अनप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस करें।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह0 /—

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 538(14)

पटना, दिनांक 24/2/2023-

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 176837 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 सं0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
वेदान्ता सेटर फार अपथैलमिक साईंस,
II Floor लीजेन्ड प्लाजा,
नीयर पासपोर्ट आफिस
आशियाना दीघा रोड,
पटना -800014

पटना, दिनांक-

विषय.- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 19.02.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	शबनम खातून पति- मुस्तफा आलम ग्राम- खान मिर्जा उर्दू स्कूल सुल्तानगज पो०- महेन्द्रू थाना- सुल्तानगज जिला- पटना	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			10,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 10,000/- (दस हजार) रू० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 176837 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 440030110000048 खाता धारक का नाम-"वेदान्ता सेटर फार अपथैलमिक साईंस " खाते का प्रकार-चालु बैंक का नाम-बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम-पटना मेन ब्रांच, फ्रेजर रोड, पटना RTGS/IFSC कोड सं० BKID 0004400 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।



5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करे। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करे। इसे अत्यावश्यक समझा जाय। एक रोगी को एक ही बार प्राक्कलन निर्गत किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
7. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छ. माह के अन्दर विभाग को वापस करें।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 540 (14)

पटना, दिनांक 24/2/2023

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176827 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कड़िका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
ए०एस० जी० आई अस्पताल
ओल्ड आर के० एम्बन्धु
राजेन्द्र नगर, नियर दिनकर गोलम्बर
पटना 800004

पटना, दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 19.02.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मिरा देवी पति- अनिल कुमार कठ ग्राम- विवेकानंद नगर बगाली कॉलोनी सपतचक पो०- बेगमपुर थाना- चौक जिला- पटना	Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			₹ 10,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 10,000/- (दस हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 196827 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 016705012140 खाता धारक का नाम- "ए०एस०जी० हॉस्पिटल प्रा० लि०" खाते का प्रकार-चालु बैंक का नाम-आई०सी०आई०सी० आई०, शाखा का नाम-, पटना RTGS/IFSC कोड सं० ICIC0000167 में अंतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
- 6 पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस करे।
इसे अत्यावश्यक समझे ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 54/14)

पटना, दिनांक 24/2/2023

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं०...196837 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
दिव्य दृष्टि आई सेंटर,
एस०बी०आई कालोनी
मंगल मार्केट, शेखपुरा,
पटना 800014 ।

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 19.02.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	भुनेश्वर प्रसाद पिता- विशुनदयाल राय ग्राम- चकजान पो०- सरासत थाना- नौबतपुर जिला- पटना	नेत्र रोग	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			₹ 10,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 10,000/- (दस हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 176837 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 32878907331 खाता धारक का नाम- 'दिव्य दृष्टि आई सेंटर प्रा० लि०' खाते का प्रकार- बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम-आई०जी०आई०एम०एस०, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0007945 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय।

यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस करें।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 542(14)

पटना, दिनांक 24/2/2023

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196837 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
दृष्टि पुज आई आस्पताल प्रा० लि०,
नोर्थ ऑफ रूपसपुर नहर ओवर ब्रिज,
विश्वेश्वरैया नगर, नियर गोला रोड पेट्रोल पम्प,
बेली रोड, पटना- 801503

पटना, दिनांक. .. .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 19.02.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	प्रतिमा देवी पति- दिनेश्वर पाण्डेय ग्राम- रामपुर मिल्की पो०- गगहर थाना- उदवत नगर जिला- भोजपुर	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			10,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 10,000/- (दस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता स० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 176837 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स०- 59207070084444 खाता धारक का नाम-DRISHTIPUNJ EYE HOSPITAL Pvt. Ltd खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम HDFC BANK, शाखा का नाम Saguna More Branch, RTGS/IFSC कोड स० HDFC0003961 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस करें।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 543(14)

पटना, दिनांक 24/2/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 176837 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11- 01/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
विरेन्द्र सहनी
पिता- शम्भू साहनी
ग्राम- अकबरपुर
पो०- सीतलपुर
थाना- दरियापुर
जिला- सारण
पिनकोड- 841221

पटना, दिनांक... ..

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 19.02.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	विरेन्द्र सहनी पिता- शम्भू साहनी ग्राम- अकबरपुर पो०- सीतलपुर थाना- दरियापुर जिला- सारण पिनकोड- 841221	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय संकल्प संख्या- 213(14), दिनांक- 30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000 / -	

- 2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000 / - (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता स० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 176837... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता स०- 34663287248 खाता धारक का नाम- VIRENDRA SAHANI, खाते का प्रकार- बचक खाता, बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम- SITALPUR, IFSC कोड स०- SBIN0005786 में अंतरित किया जाता है।
- 3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह० / -

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 563 (14)

पटना, दिनांक 24/2/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं०. 176837 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
10/

सुरक्षित बैंकिंग के लिए कुछ सुझाव

Tips for Secure Banking

- अपने पासवर्ड में छोटे और बड़े अक्षरों, अंकों, विशेष चरित्रों (Special Characters) का उपयोग करें। इसे साफ और आसानी से याद रखें।
- अपने व्यक्तिगत विवरण जैसे उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, ओटीपी, कार्ड क्रमांक, पिनकोड, पिन आदि किसी के साथ साझा न करें।
- अनजान प्रेषकों द्वारा आने वाले एसएमएस, ईमेल, वॉट्सएप संदेशों, लिंक्स आदि पर क्लिक न करें।
- अज्ञान क्लिकों की संभावना को ध्यान में रखते हुए सावधान रहें।
- एसबीआई के द्वारा भेजे जाने वाले एसएमएस हमेशा SBI या SB शब्दों के साथ ही आते हैं। उदाहरण: SBIBNK, SBIBNB, SBYONO, ATMSBI।

- Keep your password strong and complex with a combination of small and capital letters, digits and special characters.
- Do not share your personal details like Username, Password, OTP, Card Number, CVV, PIN etc. with anyone.
- Do not click on links received in SMS/Emails from unknown senders or on social networking sites.
- Do not install any application on the advice of strangers.
- SMS sent by SBI will always bear Short Codes "SBI, SB" only. e.g., SBIBNK, SBIBNB, SBYONO, ATMSBI.

सहायता हेतु हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।
1800-11-22-11/1800-425-3800/18001234/1800111109.

Call our helpline number for assistance.
1800-11-22-11/1800-425-3800/18001234/1800111109.

To report any suspicious activity, kindly email on report.phishing@sbi.co.in or call on the cybercrime helpline number 1930.
For more information visit <https://www.cybercrime.gov.in>, <https://bank.sbi/web/personal-banking/cyber-security>



Branch: SITALPUR
SITALPUR

Code: 5786

Email: sbi.05786@sbi.co.in

Phone No.: 9905797143

IFSC: SBIN0005786

Buss. Hrs: 10:00:00-18:00:00
MICR: 841002201

Name: VIRENDRA SAHANI

S/D/H/o: SHAMBHU SAHANI

CIF Number: 88188995814

Account No.: 34663287248

A/c Type: SAVINGS BANK ACCOUNT PEHLI UDAAN

Address: S/o sambhu sahani

akbarpur

akbarpur1 sitalpur

Phone No.

Email

D.O.B. (If Minor):

MOP: SINGLE

A/c Opening Dt: 02/02/2015

Nom Reg No:

Customer's PAN:

Date of Issue: 28/11/2023

CONTINUATION

Post Code: 84

Sr. Citz Flag:

